

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग- सीमाशुल्क
(अनुपालन लेखापरीक्षा)
2013 की संख्या 14

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
शब्दों और संक्षेपणों की शब्दावली		vii
सीमाशुल्क राजस्व	I	1
शुल्क छूट/माफी योजनाएं	II	27
सीमाशुल्क का गलत निर्धारण	III	39
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	IV	46
माल का गलत वर्गीकरण	V	48
अनुबन्ध - I		53
परिशिष्ट		59

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में सीमाशुल्क की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों का चयन 2011-12 के दौरान की गई नमूना जांच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल न किए गए निष्कर्षों से किया गया है।

कार्यकारी सार

प्रतिवेदनों में 31 पैराग्राफों को अन्तर्विष्ट करते हुए ₹ 31.48 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। हमने इसके अतिरिक्त ₹ 30.80 करोड़ के राशि मूल्य वाले 90 पैराग्राफ जारी किए थे, जिन पर विभाग/मंत्रालय ने कारण बताओ ज्ञापनों को जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों पर निर्णय लेकर तथा ₹ 27.76 करोड़ की वसूली करके सुधारात्मक कार्रवाई की। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का वर्णन आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व-प्रवृत्ति संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दे

- जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

{ पैराग्राफ 1.8 से 1.9 }

- राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

{ पैराग्राफ 1.18 }

- संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

{ पैराग्राफ 1.19 }

- छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घातौकीय रूप से बढ़ रहा है।

{ पैराग्राफ 1.27 से 1.33 }

- व्यापक आर्थिक स्तर पर एसईजेड योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।

{ पैराग्राफ 1.34 }

- आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) और स्वनिर्धारण सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

{ पैराग्राफ 1.39 से 1.41 }

- गत दस लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने 2129.73 करोड़ के 1709 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे। सरकार ने इनमें से ₹ 1177.03 करोड़ वाले 1390 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 156.89 करोड़ की वसूली की।

{पैराग्राफ 1.79}

अध्याय II: शुल्क छूट/माफी योजनाएं

- शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाकर निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ 20.48 करोड़ का राजस्व प्राप्य था।

{पैराग्राफ 2.1 से 2.47}

अध्याय III: सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

- हमने कुल ₹ 6.11 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के मामले दूढ़ें। मुख्यतः ऐसा उन विभागों टैंको मे बचे ईधन पर लागू शुल्क को न लगाने, एंटी डम्पिंग शुल्क न लगाने, लागत प्रभार की वसूली न होने तथा निर्यात पर शिक्षा अपकर न लगाने आदि के कारण हुआ।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.31}

अध्याय IV: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

- छूट अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 2.85 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.10 }

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

- माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.04 करोड़ का शुल्क कम उदग्रहित हुआ।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.17}

शब्दों और संक्षेपणों की शब्दावली

पूरा रूप	संक्षेपित रूप
मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम	एसीपी
अग्रिम प्राधिकार	एए
प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक	ईईओ
अग्रिम मोचन आदेश	एआरओ
एन्टी डंपिंग शुल्क	एडीडी
मूल सीमा शुल्क	बीसीडी
आयात पत्र	बीई
व्यापक भुगतान एवं लेखांकन पैकेज	सीओएमपीएसीटी
सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीटीएच
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सीबीईसी
केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीईटीएच
केन्द्रीय सांख्याकिक संगठन	सीएसओ
केन्द्रीय बिक्रीकर	सीएसटी
लागत बीमा भाड़ा	सीआईएफ
केन्द्रीय सीमाशुल्क आयुक्तालय	आयुक्तालय
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
महानिदेशक डाटा प्रबन्धन	डीडीएम
राजस्व विभाग	डीओआर
वाणिज्य विभाग	डीओसी
महानिदेशक विदेशी व्यापार	डीजीएफटी
विकास आयुक्त	डीसी
महानिदेशक एन्टी डंपिंग	डीजीएडी
महानिदेशक मूल्यांकन	डीजीओवी
घरेलू शुल्क क्षेत्र	डीटीए
शुल्क छूट पास बुक	डीईपीबी
शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र	डीईईसी
शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र	डीएफईसीसी
शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र	डीएफआरसी
इलेक्ट्रॉनिक डॉटा इन्टरचेंज	ईडीआई
निर्यात बाध्यता	ईओ
निर्यात देयता भुगतान प्रमाणपत्र	ईओडीसी
निर्यातोन्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन	ईपीजेड
आयात निर्यात	ईएक्सआईएम
वित्तीय वर्ष	एफवाई
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम	एफआरबीएम
पोत पर्यन्त निःशुल्क	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
सकल घरेलू उत्पाद	जीडीपी
क्रियाविधि की पुस्तिका	एचबीपी
हाई स्पीड डीज़ल	एचएसडी

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

पूरा रूप	संक्षेपित रूप
सुमेलित नामावली प्रणाली	एचएसएन
भारतीय सीमा इलेक्ट्रॉनिक डॉटा इन्टरचेंज प्रणाली	आईसीएस
अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो	आईसीडी
अन्तर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (समन्वित प्रणाली)	आईटीसी(एचएस)
संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
निकासी उपरान्त स्थल लेखापरीक्षा	ओएसपीसीए
लोक लेखा समिति	पीएसी
निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली	पीएमईएस
प्रधान प्रमुख लेखा नियंत्रक	पीआर.सीसीए
क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी	आरएलए
परिणामी ढांचा दस्तावेज	आरएफडी
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर	आरईआर
जोखिम प्रबंधन प्रणाली	आरएमएस
रूप	₹
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क	एसएडी
विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईजेड
भारत योजना से वित्त	एसएफआईएस
सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क	एसटीपी
प्रवृत्ति विकास दर	टीजीआर
विशेष कृषि उपज योजना	वीकेयूवाई

अध्याय 1

राजस्व विभाग (सीमा शुल्क राजस्व)

केन्द्र सरकार के स्रोत-प्रवृत्ति, संघटन एवं प्रणालीगत मुद्दे

1.1 भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं ऋणों के पुनः भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। तालिका 1.1 केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 12 के लिए ₹ 5284052 करोड़¹ की राशि बनती हैं। केन्द्र सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1220875 करोड़ थीं, जो कुल प्राप्तियों का केवल 23.10 प्रतिशत बनती हैं। शेष 76.90 प्रतिशत प्राप्तियाँ उधारियों से आई हैं। इसकी अपनी प्राप्तियों में से, ₹ 889397 करोड़ (72.85 प्रतिशत) सकल कर प्राप्तियाँ हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	₹ करोड़
प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	493988
अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	395409
गैर-कर प्राप्तियाँ	276573
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1165970
ख. पूर्णगत प्राप्तियाँ	18088
ग. ऋण एवं अग्रिम	36817
घ. ऋण प्राप्तियाँ	4063177
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ	5284052
टिप्पणी: कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 255414 करोड़ सम्मिलित हैं।	

राजस्व प्राप्तियाँ: मुख्य राशियों का संचलन

अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात के बड़े स्तर पर घटने के कारण, पूर्ववर्ती दशक के दूसरी जेनरेशन के सुधार के आरंभ एवं अन्त के दौरान अप्रत्यक्ष कर तीन वर्षीय औसत आधार पर कम हुए हैं।

1.2 राजस्व प्राप्तियाँ, कर एवं गैर-कर स्रोत, दोनों से आती हैं। कर राजस्व में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गए आय एवं व्यय पर कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि जैसे कर एवं शुल्कों की प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार की सकल कर राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 12 में जीडीपी का 9.91 प्रतिशत थीं (तालिका 1.2)। केन्द्र सरकार का शुद्ध कर राजस्व वित्तीय वर्ष 11 में राज्यों के भाग के जीडीपी के 7.36 प्रतिशत से थोड़ा गिरकर वित्तीय वर्ष 12 में 7.06 प्रतिशत हो गया। उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 08 में प्राप्त किया गया था। कुल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 03 में अपने निम्नतम स्तर जीडीपी के 8.55 प्रतिशत तक गिर गया था। यदि कोई वित्त वर्ष 2003-05 के लिए

¹ आँकड़े अन्तरिम हैं। स्रोत: वित्त लेखे

तत्समान आँकड़ों के साथ वित्त वर्ष 2010-12 के लिए तीन वर्षीय औसत की तुलना करें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजस्व प्राप्तियों ने 0.94 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। संघ सरकार के कर राजस्वों में राज्यों का हिस्सा वि.व. 11 में जीडीपी के 7.36 प्रतिशत से वि.व 12 में 7.06 प्रतिशत तक जरा सा कम हुआ।

बॉक्स 1 : रिपोर्टिंग मापदण्ड

राजकोषीय राशियाँ जैसे कर एवं गैर-कर राजस्व वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। 2004-05 के साथ नई जीडीपी श्रृंखला को, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। वित्त वर्ष 2011 तक आँकड़े वास्तविक हैं। वित्त वर्ष 2012 के लिए अन्तरिम आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्रवृत्ति वृद्धि दर (टीजीआर) को प्रासंगिक परिवर्तनों के लिए दर्शाया गया है। टीजीआर एक अवधि में हुए औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है एवं वित्त वर्ष 2003 से वित्त वर्ष 2012 तक दशकीय औसत वृद्धि के समान है।

अधिकांश श्रृंखलाओं के लिए वार्षिक परिवर्तन भी दर्शाये गए हैं। ये पूर्ववृत्ति वर्ष में इसके मूल्य के संबंध में एक निष्कर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

याच्छिक प्रभावों को दूर करने के विचार से रचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जहाँ प्रासंगिक हो, तीन वर्षीय औसत अथवा केन्द्रीय प्रवृत्तियों के उपायों का प्रयोग किया जाता है।

औसत टैरिफ 6 अंकीय स्तर पर लागू सभी टैरिफ दरों का सामान्य औसत है।

टीडब्ल्यूए - व्यापार भारत औसत अथवा साधारणतः संग्रहण दर जो कुल राजस्व को आयातों के कुल मूल्य से भाग करने पर प्राप्त होती है। केवल आधारभूत सीमाशुल्क से प्राप्त राजस्व ही शामिल किया गया है।

1.3 पिछले दशक में केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति वृद्धि दर (टीजीआर) 17.07 प्रतिशत प्रति वर्ष थी पिछले वर्ष से 2011-12 में वृद्धि 12.11 प्रतिशत थी, जो कि टीजीआर से कम थी।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियों : सकल एवं शुद्ध

वर्ष	सकल कर राजस्व	राज्यों का भाग	शुद्ध कर राजस्व	₹ करोड़	
				सकल प्रत्यक्ष कर	सकल अप्रत्यक्ष कर
वि.व 03	216266	56122	160144	83089	132542
वि.व 04	254350	65768	188582	105091	148534
वि.व 05	305047	78685	226363	132776	171273
वि.व 06	366172	94406	271766	165222	199702
वि.व 07	473534	120351	353182	230101	241906
वि.व 08	593161	151814	441347	312219	279497
वि.व 09	605309	160190	445119	333859	269989
वि.व 10	624527	164832	459696	377594	245374
वि.व 11	793308	219303	574005	445995	345371
वि.व 12	889397	255414	633983	493987	392674
टीजीआर	17.07	18.2	16.66	22	12.26

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में					
वि.व 03	8.55	2.22	6.33	3.28	5.24
वि.व 04	8.96	2.32	6.65	3.70	5.23
वि.व 05	9.41	2.43	6.98	4.10	5.28
वि.व 06	9.91	2.56	7.36	4.47	5.41
वि.व 07	11.03	2.80	8.22	5.36	5.63
वि.व 08	11.89	3.04	8.85	6.26	5.60
वि.व 09	10.75	2.85	7.91	5.93	4.80
वि.व 10	9.64	2.54	7.10	5.83	3.79
वि.व 11	10.18	2.81	7.36	5.72	4.43
वि.व 12	9.91	2.85	7.06	5.50	4.38
क:औसत वि.व (03-05)	8.97	2.32	6.65	3.69	5.25
ख:औसत वि.व (10-12)	9.91	2.73	7.17	5.68	4.20
ग:ख-क	0.94	0.41	0.52	1.99	-1.05

स्रोत: वित्त लेखे

1.4 इस अध्याय में पिछले दशक में वित्त लेखों, विभागीय लेखों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रासंगिक आकड़ों, विभागीय एमआईएस, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आंकड़ों का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष करों में प्रवृत्तियों, संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.5 परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट 2 राजस्व विभाग (डीओआर)/केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों, अप्रत्यक्ष कराधान में मुख्य प्रक्रियाओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, पिछले दशक में व्यवसाय एवं कर के वातावरण के बारे में बताता है।

1.6 सीबीईसी का समग्र संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 73806 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संघटन

1.7 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष विकास प्रस्तुत करती हैं (**तालिका 1.3**)। कुल कर राजस्व² में अप्रत्यक्ष करों का अंश अवधि के दौरान 61.29 प्रतिशत से 33.14 प्रतिशत तक घट गया। अप्रत्यक्ष कर ने वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 12.26 प्रतिशत की प्रवृत्ति विकास दर (टीजीआर) दर्शाई। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान जीडीपी बढ़कर 15.20 प्रतिशत तथा कुल राजस्व कर बढ़कर 17.07 प्रतिशत हो गया था। जीडीपी वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 25.31 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 89.75 लाख करोड़ तक बढ़ा जबकि अप्रत्यक्ष कर

² स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी-फरवरी 2013 में केन्द्रीय संख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़ें

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 1.33 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 3.93 लाख करोड़ तक बढ़ गया।

तालिका: 1.3 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व 03	132542	2530663	5.24	216266	61.29
वि.व 04	148534	2837900	5.23	254350	54.80
वि.व 05	171273	3242209	5.28	305047	51.38
वि.व 06	199702	3693369	5.41	366172	48.14
वि.व 07	241906	4294706	5.63	473534	43.07
वि.व 08	279497	4987090	5.60	593161	38.39
वि.व 09	269989	5630062	4.80	605309	34.44
वि.व 10	245374	6477827	3.79	624527	29.83
वि.व 11	345371	7795314	4.43	793308	34.48
वि.व 12	392674	8974947	4.38	889397	33.14
टीजीआर	12.26	15.20	-	17.07	-

स्रोत: वित्त लेखे

प्राप्त सीमाशुल्क की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ और सरंचना

1.8 नीचे दी तालिका 1.4 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी की वृद्धि प्रस्तुत करती है। तालिका 1.3 दर्शाती हैं कि वि.व. 10 से वि.व. 12 की अवधि के दौरान जीडीपी के अंश के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वित्तीय वर्ष 07 में 5.63 की उच्चतम प्रतिशतता प्राप्त करने के बाद कम हुआ। जबकि अप्रत्यक्ष करों के अंश के रूप में सीमाशुल्क राजस्व काफी हद तक पेट्रोलियम उत्पाद, सोने, कीमती पत्थरो, रत्नों तथा ज्वैलरी के आयातों में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय वर्ष 03 में 33.89 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 38.17 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाता है (परिशिष्ट 7 एवं 8)।

तालिका 1.4: सीमाशुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	₹ करोड़ अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमाशुल्क
वि.व.03	2530663	216266	132542	44912	1.77	20.77	33.89
वि.व.04	2837900	254350	148534	48613	1.71	19.11	32.73
वि.व.05	3242209	305047	171273	57610	1.78	18.89	33.64
वि.व.06	3693369	366172	199702	65067	1.76	17.77	32.58
वि.व.07	4294706	473534	241906	86327	2.01	18.23	35.69
वि.व.08	4987090	593161	279497	104119	2.09	17.55	37.25
वि.व.09	5630062	605309	269989	99879	1.77	16.50	36.99
वि.व.10	6477827	624527	245374	83324	1.29	13.34	33.96
वि.व.11	7795314	793308	345371	135813	1.74	17.12	39.32
वि.व.12	8974947	889397	392674	149876	1.67	16.85	38.17

स्रोत: वित्त लेखे

वित्त वर्ष 03 से 12 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

1.9 निर्यात में वित्तीय वर्ष 11 में 35.17 प्रतिशत (₹ 297388 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 27.68 प्रतिशत (₹ 316359 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.6)। आयात में भी इसी अवधि के दौरान 23.45 प्रतिशत (₹ 319731 करोड़) से 39.28 प्रतिशत (₹ 661305 करोड़) तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम, तेल तथा ल्यूब्रीकेन्ट (पीओएल), सोना तथा चाँदी के अधिक आयात के कारण था। वित्तीय वर्ष 12 में निर्यात से अधिक आयात के साथ व्यापार घाटा वर्षवार 42.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 11 में जीडीपी के 6.93 प्रतिशत के प्रति जीडीपी के 9.87 प्रतिशत तक बढ़ गया। व्यापार घाटा रुपये की कीमत में आई भारी कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी, कोयले के आयात के साथ ही साथ सोने तथा चाँदी, उर्वरक तथा खाद्य के बढ़े आयात, के कारण हुआ। यद्यपि वित्त वर्ष 13 की पहली तिमाही में निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से कमी आई है। निर्यात में यूरोप तथा यूएस से माँग घटने के कारण पिछले तीन सालों में जुलाई में 14.8 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है।

1.10 पिछले दशक के दौरान पाँच महत्वपूर्ण आयात पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, मोती-मंहगे तथा कम मंहगे पत्थर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ कर बाकी मशीनरी रहे। पेट्रोलियम उत्पाद ने पिछले साल की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 में 54 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जबकि सोने ने इसी अवधि के दौरान लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी हैं ये उपयोगी वस्तुएँ वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कुल आयात का लगभग 63 प्रतिशत थीं। इसी प्रकार से, पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण पाँच निर्यात वस्तुएँ पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद), रत्न तथा गहने, यातायात उपकरण, मशीनरी तथा औजार एवं दवाईयाँ-फार्मास्यूटिकल्स तथा अच्छे रसायन थीं। पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद) ने पिछले साल की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जबकि यातायात उपकरण ने इसी अवधि के दौरान 37 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत ये उपयोगी वस्तुएँ थीं।

1.11 वित्तीय वर्ष 12 के दौरान भारत को निर्यात करने वाले पाँच प्रमुख देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीटजरलैंड, सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इसी तरह वर्ष वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयात करने वाले प्रमुख पाँच देश संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर तथा हांग कांग थे।

कर आधार

1.12 सीमा शुल्क राजस्व आधार में 9,64,791 जारी आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)³ समाविष्ट थे जिनमें से 6,79,177 वैद्य हैं। वर्तमान में 328 कार्यशील बन्दरगाह 105 ईडीआई, 68 नॉन-ईडीआई, 49 मैन्चूल तथा 106 सेज विद्यमान हैं। 2011-12 के दौरान निर्यात के 67.79 लाख तथा 62.33 लाख आयात के संव्यवहार किए गए हैं।

सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा आयात में वृद्धि

एकत्रित सीमाशुल्क राजस्व ने आयात के मूल्य के साथ क्रमवार वृद्धि नहीं हुई।

1.13 पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयात के मूल्य ने 39.28 प्रतिशत (तालिका 1.5) वृद्धि दर्शायी। वित्तीय वर्ष 12 में सीमाशुल्क राजस्व की वृद्धि 10.35 प्रतिशत थी वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयातों की कीमत ने 132 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी थी, जबकि आयात शुल्क केवल 44 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान गैर कृषि उत्पाद के लिए शीर्ष शुल्क दर 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा (परिशिष्ट 4)।

तालिका 1.5: सीमाशुल्क प्राप्तियों तथा आयात में वृद्धि

वर्ष	आयात	वृद्धि	सीमाशुल्क प्राप्तियां	₹ करोड़ वृद्धि
वि.व.03	297206	21.21	44912	12.01
वि.व.04	359108	20.83	48613	8.24
वि.व.05	501065	39.53	57610	18.51
वि.व.06	660409	31.80	65067	12.94
वि.व.07	840506	27.27	86327	32.67
वि.व.08	1012312	20.44	104119	20.61
वि.व.09	1374436	35.77	99879	(-)4.07
वि.व.10	1363736	(-)0.78	83324	(-)16.58
वि.व.11	1683467	23.45	135813	62.99
वि.व.12	2344772	39.28	149876	10.35
टीजीआर		25.96		17.83

स्रोत: यूनियन बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

सीमा शुल्क के एसएडी/सीवीडी घटकों में वृद्धि उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर की वांछित प्रवृत्ति से मेल नहीं हुआ है।

अतिरिक्त सीमाशुल्क भुगतान तथा उसका घरेलू उत्पादन और बिक्री से संबंध।

1.14 सीमाशुल्क में मूल ड्यूटी के अलावा, सीमाशुल्क स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एसएडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क के घटक शामिल हैं। हालांकि निर्यात संवर्धन योजनाओं तथा व्यापार समझौतों के उद्देश्य बिक्री कार्यों तथा उत्पादन दोनों को शामिल करके आयात प्रतिस्थापन बढ़ाना तथा लाभ प्राप्त करना हैं तथापि संघ सरकार के

³ आईईसी डीजीएफटी दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

केन्द्रीय बिक्री कर पर आयात पर लगाए गए सीमाशुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क एसएडी⁴ तथा पर हुए व्यय की तुलना के विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 01 में 11.79 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ₹ 8371 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 19,230 करोड़ तक बढ़ा है परिणामस्वरूप एसएडी संग्रहण 58.99 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 2,442 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹18,288 करोड़ तक बढ़ा है जैसाकि **परिशिष्ट 5** में उल्लेखित है। एसएडी पर सीएसटी का दशकीय औसत अनुपात 20 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ते प्रचलन के साथ वित्तीय वर्ष 02 में 28.62 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 11 में 95.10 प्रतिशत की सीमा के बीच रहा।

1.15 इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति की तुलना में आयात पर लिए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी)⁵ के विश्लेषण से विदित हुआ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति में वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 72,555 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 1,38,372 करोड़ तक 8.24 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तदनुसार सीवीडी संग्रहण में भी **परिशिष्ट 6** में वर्णित 18.90 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 16,582 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 51,065 करोड़ की वृद्धि हुई। उत्पाद शुल्क के सीवीडी के अनुपात का दशकीय औसत वित्तीय वर्ष 04 में 16.51 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 09 में 44.68 प्रतिशत वृद्धि के रूझान के साथ 27 प्रतिशत रहा।

1.16 इसके अतिरिक्त, कुछ पण्यों में विलोम शुल्क ढांचे से घरेलू उत्पाद मूल्य श्रंखला के प्रभावित होने की सूचना है। यह 2000 से पहले से बदतर हो गई विनिर्माण व्यापार की कमियों से भी प्रमाणित होता है, जिसने पूंजीगत माल के पक्ष में मांग की संरचना को बदल दिया था लेकिन इन्होंने इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण में कोई सहायता नहीं की।

वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दशक के दौरान समग्र व्यापार असंतुलन में वृद्धि सीमाशुल्क राजस्व के घटते बढ़ते प्रभाव ने कुछ मुख्य आर्थिक तत्वों को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।

1.17 व्यापार असंतुलन में वित्तीय वर्ष 03 (**तालिका 1.6**) में ₹ 0.42 लाख से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 8.85 लाख करोड़ की वृद्धि हुई ऐसा मुख्यतः तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (**परिशिष्ट 7**) और सोने (**परिशिष्ट 8**) के कुल आयात के कारण हुआ। इसी प्रकार, एफडीआई⁶ के (**परिशिष्ट 9**) अन्तर्वाह और रीयर⁷ के प्रभाव (**परिशिष्ट 10**) और मुद्रा स्फूर्ति ने गहराते मौजूदा घाटे के लेखा ने भुगतान संतुलन को बहुत अधिक प्रभावित किया। सोने, कीमती पत्थरों, रत्नों और आभूषण (सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय

⁴ विशेष अतिरिक्त शुल्क सभी आयातित वस्तुओं के प्रति बकाया बिक्री कर वेट, स्थानीय कर अथवा अन्यथा पर उगग्रहण योग्य होता है।

⁵ सीवीडी वह शुल्क है जो फिलहाल लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर उद्ग्रहणीय है ऐसी वस्तुओं जैसे वह भारत में उत्पादित या निर्मित हुई है।

⁶ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दीर्घावधि राजकोषीय सम्मुख की प्राप्ति में मदद करता है।

⁷ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

71) के व्यापार असंतुलन में वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 6693.47 करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 208307.52 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

तालिका 1.6 समग्र व्यापार असंतुलन
व्यापार असंतुलन

वर्ष	आयात	वृद्धि प्रतिशत	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि प्रतिशत	निर्यात	वृद्धि प्रतिशत	₹ करोड़ व्यापार असंतुलन
वि. व. 03	297206	21.21	44912	12.01	255137	22.06	-42069
वि. व. 04	359108	20.83	48613	8.24	293367	40.35	-65741
वि. व. 05	501065	39.53	57610	18.51	375340	27.94	-125725
वि. व. 06	660409	31.80	65067	12.94	456418	21.60	-203991
वि. व. 07	840506	27.27	86327	32.67	571779	25.28	-268728
वि. व. 08	1012312	20.44	104119	20.61	655864	14.71	-356448
वि. व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	840755	28.19	-533681
वि. व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	845534	0.57	-518202
वि. व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	1142922	35.17	-540545
वि. व. 12	2344772	39.28	149876	10.35	1459281	27.68	-885492

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग, एक्जिम डाटा

विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

1.18 हालांकि व्यापार नियमों डीओआर को आवंटित विषयों को निर्धारित करते हैं लेकिन परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)⁸ में आवश्यक उपचारात्मक निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण इसका राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को नापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी) तैयार नहीं करता तथापि, ऐसा जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) वाले भारत सरकार के 74 अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा जाता है, समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट ही है।

सीमा शुल्क प्राप्ति में बजटीय मुद्दे

संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

1.19 बजट अनुमानों के वास्तविक संग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले दशक के

⁸ केन्द्रीय सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी को तैयार करना आवश्यक है।

दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-)16.02 प्रतिशत से (+) 22.35 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7 बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्ति

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति और बजट अनुमानों में अंतर	₹ करोड़	
					वास्तविक प्राप्ति एवं बजट अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता	वास्तविक प्राप्ति एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता
वि.व.-03	45193	45500	44912	(-) 281	(-)0.62	(-)1-29
वि.व.-04	49350	49350	48613	-737	(-)1.46	(-)1-49
वि.व.-05	54250	56745	57610	3360	6.19	1-52
वि.व.-06	53182	64215	65067	11885	22.35	1-33
वि.व.-07	77066	81880	86327	9261	12.02	5-43
वि.व.-08	98770	100766	104119	5,349	5.42	3-33
वि.व.-09	118930	108000	99879	(-)19051	(-)16.02	(-)7-52
वि.व.-10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1-36
वि.व.-11	115000	131800	135813	(+)20813	18.10	3-04
वि.व.-12	151700	153000	149876	(-)1824	(-)1.20	(-)2-04

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा लेखाकरण

1.20 प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक (प्र. सीसीए) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा बोर्ड में भुगतान और लेखा संगठन का मुखिया है। सचिव (राजस्व) सीबीईसी का मुख्य लेखा प्राधिकारी है। अप्रत्यक्ष कर का लेखा-जोखा वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओज) द्वारा रखा जाता है जो प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक के कार्यालय प्र. सीसीए के कार्यालय सीबीईसी के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

1.21 प्रधान सीसीए के कार्यालय द्वारा हाल ही में भौतिक यंत्रों और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों में बदल कर एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से अपने लेखा और रिपोर्टिंग के कार्य को करने के लिए अपने सभी पीएओज को साधन सम्पन्न करने की पहल की थी। इस आईटी पहल को "पी सीबीईसी (प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक-सीबीईसी)" कहा गया है।

1.22 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ने सीबीईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के राजस्व और व्यय लेखों के अनुरक्षण के लिए और उपयोगकर्ता मंत्रालय के लिए उपयुक्त एमआईएस विकसित करने के लिए आईसीटी समाधान के रूप में "इलेखा और कॉपैक्ट" लगाया था। मूल समाधान योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक सीबीईसी विभिन्न मंत्रालयों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डीओसी, डीजीएफटी) और लाईन कार्यालयों के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओज) के बीच समाधान उपलब्ध कराता है जिससे प्राप्त परिणामिक लेखा सूचना के अधिकांश का समन्वय हो और वह

उच्च एकाग्रता वाली भी है। मौजूदा लेखा वर्गीकरण अलग से ब्याज भुगतान (जैसा डीबीके/सीएसटी ब्याज भुगतान) का वर्णन नहीं करते। व्यय शीर्ष से किये गए रिफंड व्यय के तहत परिलक्षित नहीं होते हैं।

कर व्यय और सीमाशुल्क राजस्व

1.23 किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकार के व्ययों को पोषित करने के लिए राजस्व बढ़ाना है। बढ़े हुए राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित होती है। यह उपायों की श्रृंखला विशेषकर दरें, छूट, कटौती, घटौती, डिफेरेन्स ओर क्रेडिट-जो कर के स्तर और आवंटन को प्रभावित करते हैं का कार्य भी है। इन उपायों को कभी-कभी "कर अधिमत" भी कहा जाता है। इनका सरकार के राजस्व (जैसे उनकी लागत होती है) पर प्रभाव होता है और ये सरकार की नीतियों के चयन पर प्रभाव डालते हैं।

1.24 कर अधिमत को प्राथमिकता प्राप्त कर दाताओं के लिए छूट भुगतान के रूप में देना जाना चाहिए। ऐसे अस्पष्ट भुगतानों को "कर व्यय" के रूप में दर्शाया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस संदर्भ में मूल मुद्दा कर नीति में से नहीं बल्कि प्रभाविकता और पारदर्शिता में से एक है- कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता है कि नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए ; और कार्यक्रम बजटिंग के लिए इनसे संबंधित कार्यक्रम शीर्षों के तहत ऐसे परिव्यय के समावेश की आवश्यकता होती है। कर व्यय कर संविधियों में अन्तर्समाहित व्यय करने वाले कार्यक्रम हैं।

1.25 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, में अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सरकार को जनहित के लिए इसके राजकोषीय संचालनों में अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए एवं अनुदानों की माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में जितना व्यवहारिक हो, गोपनीयता को कम करना चाहिए। इसमें यह अनुबन्ध भी है कि केन्द्रीय सरकार को अनुदानों के लिए माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय निर्धारित किये गए कुछ प्रपत्रों में ऐसी घोषणाएँ करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 में प्रावधान है कि जनहित के लिए अपने राजकोषीय संचालनों में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार को अनुदानों की माँग एवम वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, निर्धारित राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित करने या कर सकने वाले, लेखा मानदण्डों नीतियों एवं पद्धतियों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी बताना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इन प्रावधानों का वित्त वर्ष 2007 के लिए अनुदानों की माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने के साथ से ही पालन होना चाहिए।

1.26 राजस्व विभाग राजस्व छोड़े जाने की पद्धति का प्रयोग करता प्रतीत होता है। यद्यपि, आंकड़ों की उपलब्धता एवं विभाग की क्षमता के आलोक में एक पद्धति पर

दूसरी पद्धति अपनाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। कर व्यय की गणना में इसके प्रकटीकरण एवं अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए एफसी-XIII की सिफारिश से स्थिति यथावत ही है।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व

छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घातोंकीय रूप से बढ़ रहा है।

1.27 केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत शुल्क छूट की शक्तियों को जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती हैं।

1.28 इस प्रकार छोड़े गए राजस्व को भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

$$\text{छोड़ा गया राजस्व} = \text{मूल्य } x \text{ (शुल्क की टैरिफ दर-शुल्क की प्रभावी दर)}$$

1.29 पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में छोड़े गए राजस्व में वित्तीय वर्ष 2007 में 162 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 191 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 1.8)। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 88 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, मशीनरी, खाद्य तेल तथा अनाज, रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था। निर्यात संवर्धन योजना के तहत छोड़ा गया राजस्व वित्तीय वर्ष 12 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था (तालिका 1.9)।

तालिका 1.8: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	₹ करोड़ छोड़ा गया राजस्व- सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व. 07	86327	137105	479.71	2654.55	140239.26	162.45
वि.व. 08	104119	153593	440.69	3236.25	157269.94	151.05
वि.व. 09	99879	225752	912.14	12116.00	238780.14	239.07
वि.व. 10	83324	233950	2309.32	9219.00	245478.32	294.61
वि.व. 11	135813	230131	3474.05	8859.00	242464.05	178.53
वि.व. 12	149876	270693	3020.14	12331.00	286044.14	190.85

*टिप्पण: पिछले वर्षों के आँकड़े उपलब्ध नहीं है। एफआरबीएम के तहत छोड़े गए राजस्व के आँकड़ों को 2006-07 के बजट में पहली बार लिया गया।

स्रोत: यूनिशन बजट, सीबीईसीडीडीएम अदा किया गया डीबीके - एआरज

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

1.30 योजनागत परित्यक्त शुल्क वि.व. 08 से वि.व. 12 में 65 प्रतिशत से 46 प्रतिशत था (तालिका 1.9) छोड़े गए राजस्व विवरण उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा यदि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों अर सामान्य छूटों का राजस्व प्राप्ति निर्धारण यदि कोई किया गया हो कोई बजट दस्तावेज के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 1.9: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित					₹ करोड़
	वि.व. 08	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	
1. अग्रिम लाइसेंस	17654.13	12389.00	10089.21	19355.28	18306.12	
2. एसईजैड	1803.95	2324.29	3987.06	8630.16	4559.87	
3. ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	18978.46	13400.65	8076.46	8579.87	4554.64	
4. ईपीसीजी	10521.39	7832.71	6720.25	10621.24	9672.28	
5. शुल्क फिरती (नीचे की क्रम सं. 8 को छोड़कर)	9015.77	12116.07	9218.96	9001.39	12513.55	
6. डीईपीबी (नीचे की क्रम सं. 7 को छोड़कर)	5311.50	7087.49	8008.45	8736.4	10404.37	
7. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त डीईपीबी लाभ	29.29	4.52	19.51	20.15	4.52	
8. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त फिरती लाभ	14.84	4.45	12.28	17.85	2.55	
9. डीएफआरसी	607.13	110.61	62.30	43.53	39.93	
10. स्थिति धारको की डीएफईसीसी योजनाएँ (एनटीएन. 53/03 - सीशुल्क)	471.62	342.32	179.74	96.6	69.93	
11. स्थिति धारकों की डीएफईसीसी (एनटीएन. 54/03 - सीशु)	267.95	75.40	54.16	59.79	120.42	
12. टारगेट वाली योजनाएं-अधिसूचना सं. 32/2005-सी.शु और 72/2006 सीशुल्क	923.32	1220.12	267.28	373.99	436.31	
13. विशेष कृषि और ग्राम अधिसूचना सं. 41-2005 सीशुल्क	537.97	2059.11	2868.68	1788.48	2263.34	
14. भारत सेवी योजना की अधिसूचना सं. 92/2004- सीशुल्क	641.70	530.53	514.86	542.18	555.46	
15. डीएफआईए योजनाएँ - अधिसूचना सं. 40/2006- सीशुल्क	1359.14	1267.60	1398.55	1403.99	1244.33	
16. फोकस मार्केट योजना - अधिसूचना सं. 91/2006- सीशुल्क	8.30	264.05	432.38	548.12	894.46	
17. फोकस उत्पाद योजना - अधिसूचना सं. 91/2006 -सीशुल्क	32.77	144.16	396.26	1209.46	3056.31	
कुल	68179.23	61173.08	52606.39	71028.48	68678.39	
सीमा शुल्क प्राप्ति का प्रतिशत	65.48	61.25	63.13	52.30	45.82	

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

1.31 संघ बजट प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2005 से कर खर्च के विवरण⁹ देती रही है। हमने इन प्रस्तुतियों की सम्पूर्णता की जांच की और उन्हें अपूर्ण पाया। राजस्व बजट में फिरती प्रतिदाय और प्रशासनिक मंत्रालयों के नियमित व्यय शीर्षों द्वारा किए गए प्रतिदायों सहित, कुछ योजना आधारित प्रतिदायों पर विचार नहीं किया जाता। जैसाकि **तालिका 1.8** में वर्णित है।

1.32 सीबीईसी (सीमाशुल्क) ने अपने उत्तर में कहा कि मंत्रालय की टीआरयू इकाई जो राजस्व बजट तैयार करती है वह राजस्व बजट में ऐसे प्रकटनों को जोड़ने के मामले की जांच करेगी।

1.33 छोड़े गए राजस्व में मुख्य रूप से सहयोग करने वाली पहली पांच वस्तुएं हैं

- क. कच्चा तेल और खनिज तेल
- ख. मशीनरी
- ग. हीरा और सोना
- घ. खाद्य तेल
- ड. रसायन एवं प्लास्टिक्स

इसी प्रकार, देश वार छोड़े गए शुल्क से पता चलता है कि 98 प्रतिशत लेन-देन में शामिल लगभग 63 निर्यात करने वाले देश हैं।

वित्तीय वर्ष 11 से वि.व. 12 में विशेष आर्थिक ज़ोन का निष्पादन

व्यापक आर्थिक स्तर पर योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।

1.34 एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 579 अनुमोदन एसईज़ेड की स्थापना के लिए दिए गए, जिनमें से 384 अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 49 अनुमोदनों को एसईज़ेड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। लगभग 49 अनुमोदन थे (**अनुबंध-11**)। 3622 यूनितें अनुमोदित हैं। कुल ₹ 2,18,795 करोड़ का निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9,45,990 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ। इसके अन्तर्गत आए। इसने 2010-11 में ₹ 3,64,478 करोड़ के निर्यात के साथ 15.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी (नीचे तालिका 1.10)। अधिनियम के लागू होने के बाद एसईज़ेड से निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज होने के बावजूद आर्थिक और सरकारी स्तर पर कोई राजस्व परिणाम विश्लेषण नहीं हुआ। चूंकि, अधिकतर उद्धृत निष्पादन आंकड़ों को जब अचलन और पृथक्कृत किया जाता है तो एसईज़ेड और एसईज़ेड यूनितों के संबंध में कराधान नीति में परिवर्तन सहित मुक्त प्रभावों को दर्शाया जा सकता है। लोक लेखा समिति ने भी एसईज़ेड पर सीएजी के लेखापरीक्षा निष्पादन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की है।

⁹ 2004-05 से संघ बजट प्राप्ति का अनुबंध- 15 के रूप में

तालिका 1.10 : वि.व 11 से वि व 12 में एसईज़ेड का निष्पादन

2010-11 में निर्यात डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 3,15,867.85 करोड़ (2009-10 से अधिक 43.11% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (असकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 29093.02 करोड़ (कुल उत्पाद का 8.11%)
2011-12 में निर्यात डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 13881.20 करोड़ (कुल उत्पाद का 3.87%)
डीटीए बिक्री (असकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 3,64,477.73 करोड़ (2010-11 से अधिक 15.39% की वृद्धि)
	₹ 32,472.70 करोड़ (कुल उत्पादन का 8%)
	₹ 29,664.83 करोड़ (कुल उत्पादन का 7%)

स्रोत: डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एसईजेडईडिया. एनआईसी. आईएन

1.35 सीबीईसी ने बताया (अप्रैल 2013) कि महानिदेशक (डीआरआई) की अध्यक्षता में एक स्टडी ग्रुप ने अपनी अन्तरिम में सिफारिश की थी कि ;

- क. इकाइयों की राजस्व लेखापरीक्षा की प्रणाली तथा आवधिक आधार पर सेज में विकासकर्ता प्रचालन को आरम्भ किया जाए ;
- ख. न्यूनतम जाचों वाले स्वयं के प्रमाणपत्र पर निर्भर रहने की अपेक्षा, गलत घोषणा, प्रतिबन्धित अथवा खतरनाक सामग्री के आयात/ निर्यात के मामलों का वसूली से सम्बन्धित प्रावधानों सहित सीमाशुल्क अधिनियम में प्रावधानों को लागू किया जाए।
- ग. सेज में सीमाशुल्क क्रियाओं में कार्यरत अधिकारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्तियां, सीमाशुल्क आयुक्तालय को दे दी जाए।

1.36 सीबीईसी ने यह भी कहा कि क्योंकि सेज की योजना का प्रशासन वाणिज्य विंग के पास है तथा वे ही स्टडी ग्रुप के अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

1.37 डीआरआई यूनिट (सीबीईसी) ने पाया कि एसईज़ेड यूनिटें बेकार मर्दों को निर्यात कर रही थी जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य, अवमूल्यन आयात नहीं था और उन्हें घरेलू क्षेत्र में समाशोधन करके और सीमाशुल्क भरने के बाद शिपिंग बिल में घोषित माल को बदला जा रहा था। एसईज़ेड का राजस्व परिणाम निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकता है।

1.38 सीबीईसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि आयातित माल पर छोड़ा गया शुल्क लगभग ₹ 45 करोड़ बनता था तथा फर्म के निदेश को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा न्यायिक हिरासत में उसकी रिमाण्ड ली गई थी। उत्तर में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष पर कुछ नहीं कहा गया था कि डीओआर द्वारा डीआरआई इन्पुट्स के मद्देनजर सेज के परिणामी आंकलन की आवश्यकता थी।

सीमाशुल्क प्रक्रिया और सरलीकरण

आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) और स्वनिर्धारण सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

1.39 सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना जारी रखा (**परिशिष्ट 12**) उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई का प्रारंभ आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित बेतरतीब रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मिलित है। आयात और निर्यात कार्गो की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को उत्तरोत्तर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरलीकरण हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4% एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृति को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा दत्त 4% एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्त पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

1.40 आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दर्शायी गई सुस्पष्टता पर और सभी एयर कार्गो, समुद्री बंदरगाहों, भू पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है।

आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

1.41 ओएसपीसीए के प्रारंभ के बाद, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से बंद कर दी जबकि दूसरी तरफ ओएसपीसीए योजना पूरी तरह से गतिमान नहीं हो पाई। हमने पाया कि वि.व 12 के दौरान, 6.81 लाख आयातकों/निर्यातकों के प्रति 260 एसीपी ग्राहकों में से केवल 51 की लेखापरीक्षा की गई थी। इससे पोस्ट ऑडिट ग्राहकों के मामलों में आयात का कम निर्धारण और पीसीए आधारित ग्राहकों के मामले में विलम्बों के कारण राजस्व का रिसाव हो सकता है जोकि व्यापार को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। आईसीटी एप्लीकेशन (आईसीईएस) के वर्तमान स्तर के संवर्धन की जरूरत है और प्रभावी सुविधा के लिए सभी आधिकारिक सीमाशुल्क लेनदेनों को स्वनिर्धारण देने की आवश्यकता है।

1.42 सीबीईसी ने कहा कि जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी एसीपी आयतकों की वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा अवश्य की जानी चाहिए, योजना अक्टूबर 2011 में शुरू किए जाने के बाद वित्तीय विवरण 2012 के दौरान 51 एसीपी की लेखापरीक्षा की गई थी।

1.43 उत्तर लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष का समाधान नहीं करता कि आईसीईएस तथा आरएमएस को दिया गया स्वयं निर्धारण सभी निर्यातकों/आयातकों को नहीं दिया गया था (पैराग्राफ 1.39-1.41)।

लेन-देन की लागत में कमी

1.44 व्यापार सुविधा और कर प्रशासन में दक्षता के मुद्दे आन्तरिक रूप से निर्यात के लेन-देन की लागत में कमी दर्शाते हैं जिससे निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेन-देन लागत विश्लेषण पर वाणिज्य विभाग की टास्क फोर्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक डुईंग बिजेनस रिपोर्ट द्वारा बनाई गई यूएस \$ 13 बिलियन (लागत का 7-10 प्रतिशत) के आंकलन को स्वीकार करती है। इसने सात मंत्रालय से संबंधित व्यापार नीतियों के कानून, विनियमन और प्रशासन को लागू करने से संबंधित लागत पर विचार किया जिसने 44 मुद्दों और 23 मुद्दों के सुधार पर "स्थायी रूप से" ₹ 2100 करोड़ के अनुमानित लाभ की पहचान की।

1.45 सीबीईसी ने कहा (अप्रैल 2013 कि सीमाशुल्क सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिए गए थे। सीबीईसी ने यह भी कहा कि उन्होंने चयनित बन्दरगाहों तथा हवाईअड्डों पर 24 x 7 निकासी प्रचालन, एसीपी योजना के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, एसीईएस तथा आईसीईएस, ईडीआई तथा सेज आटोमेशन सॉफ्टवेयर के एकीकरण पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत होने के बावजूद निर्यात संवर्धन योजना के बारे में सामान्य बान्ड सुविधा प्रारम्भ करने जैसे विभिन्न अनुरक्षण कदम शुरू किए थे।

सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य

1.46 महानेदशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया था जिसकी संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (समूह और व्यक्तिगत स्तर का), क्षमता निर्माण, सामारिक दृष्टि विकास और कल्याण और एक 73806 मजबूत कार्य बल के लिए संरचनात्मक डिविजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका है। डीजी निरीक्षण द्वारा 1 फरवरी 2013 को सीबीईसी की पाँचवर्षीय नीति योजना के लिए इनपुट मांगा गया ताकि;

क. जीडीपी अनुपात हेतु अप्रत्यक्ष कर को सुधारा जा सके;

ख. एक सुदृढ़ आरएमएस स्थापित किया जा सके जो सभी पत्तनों और लेने-देनों को कवर किया जा सके;

ग. कर्मचारियों और अधिकारियों को आईसीईएस का निपुणता से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिलाया जा सके;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्राक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सके;

1.47 आरएफडी वित्त वर्ष 2013 पहले ही मापन द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करता है और जरूरी नहीं कि सफलता संकेतक सरकार द्वारा स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, सीसीईएस के प्रयोग के मामले में पहले से लिए गए कुछ नीति निर्णयों के साथ मेल खाएं। हालांकि सीमाशुल्क आन्तरिक रूप से सरकार की अन्य कर और विदेश नीतियों के साथ संबंधित है, स्वतंत्रता के आनंद के लिए प्रक्रिया

को वर्तमान स्तर पर और रणनीति को वर्तमान उपलब्ध स्वयात्ता एवं भविष्य की संभावनाओं के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कौशल को पैना करने के बाद पुनर्गठन और पुर्नाबंटन के लिए प्रणालीगत स्तर को देखने और उसके बाद क्षमता अन्तराल को भरने की आवश्यकता है।

1.48 सीबीईसी लेखापरीक्षा से इस बात पर सहमत था (अप्रैल 2013) कि मानव संसाधनों के पुनर्गठन तथा पुनर्स्थापन हेतु नीतिगत स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। उसने फिर भी यह कहा कि स्वयं निर्धारण तथा ओएसपीसीए जैसे हाल में ही शुरू किए गए उपायों के लिए आरएफडी प्रचालों के मद्देनजर बैन्चमार्क निर्धारित करना इन योजनाओं को लागू करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक बाधाओं के लिए अविवेकपूर्ण कदम होगा।

1.49 लेखापरीक्षा मानती है कि सीबीईसी (सीमाशुल्क/डीओआर) की सटीक आरएफडी रिपोर्टिंग के लिए सफलता संकेतकों को परिभाषित करते हुए मापक कार्यप्रणाली आवश्यक है।

सीमाशुल्क की बकाया राशि

विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

1.50 31 मार्च 2012 को निर्धारित सीमाशुल्क की राशि जोकि 31 दिसम्बर 2012 तक वसूली कर ली जानी थी ₹ 10506 करोड़ थी। सीमाशुल्क राजस्व की ₹ 7420.42 करोड़ की राशि जिसकी माँग मार्च 2012 तक जारी की गई थी जो विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 की समाप्ति तक उगाही नहीं गई थी (तालिका 1.11)। इसमें से ₹ 2709.59 करोड़ निर्विवादित थे। तथापि, ₹ 1039.88 करोड़ निर्विवादित राशि की भी पाँच वर्षों की अवधि से अधिक से वसूली नहीं की गई थी। विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

1.51 सीबीईसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि बकाया राजस्वों की उगाही/परिसमापन के लिए बहुआयामी कार्य के निदेश जारी किए गए थे। मुख्य आयुक्त (बकाया कर राजस्व) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक कार्ययोजना परिचालित की है जिसमें कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस बनाने, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के तहत मामलों की विशेष निगरानी करने आदि शामिल हैं ताकि इस दिशा में समयबद्ध परिणाम प्राप्त हो सकें। सीबीईसी ने यह भी कहा कि मुख्य आयुक्त दोषियों के नाम प्रकाशित करने तथा सूचना देने वालों को ईनाम देने के लिए भी कदम उठा रहे थे। बकाया राशि की वसूली में हुई प्रगति की निगरानी के लिए जोनों का निरीक्षण किया गया था। 26 मार्च 2013 की बैठक में डीओआर ने सूचना दी थी कि कर्तव्यनिष्ठ महानिदेशक वले कर वसूली तन्त्र बहुत विस्तृत था। ₹ 9000 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस लक्ष्य के प्रति विभाग ने अच्छा कार्य किया है। सीबीईसी पिछले दो वर्षों की वसूली के विवरण देने को भी सहमत हुआ।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

1.52 लेखापरीक्षा इसी बात पर कायम है कि विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत हैं।

1.53 सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण आंकड़ों से एक और दिलचस्प प्रवृत्ति का पता चला जिसमें वह फरवरी /मार्च के माह में सबसे अधिक है और बाद में अप्रैल-जून के महीनों में प्रतिदाय (फिरती सहित) अधिकतम था। इससे राजस्व लक्ष्यों की तदर्थ प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का पता चलता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के, बकाया या ऋण की दक्षता का स्वतंत्र विश्लेषण करवाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ-साथ फर्म, दोनों पर लागू मौजूदा दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। बकाया पर सूचना का सार निम्नलिखित तालिका 1.11 में दिया गया है:-

तालिका 1.11: सीमाशुल्क का बकाया

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कालम 5+9)
	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 2+3+4)	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. दिल्ली	222.38	40.68	34.29	297.35	210.04	93.69	27.64	331.37	628.72
2. दिल्ली - निवारक	16.96	3.99	0.74	21.69	4.90	2.65	6.00	13.55	35.24
3. दिल्ली के.उ.शु	54.41	1.66	0.00	56.07	1.51	14.50	0.00	16.01	72.08
4. जयपुर	4.58	6.33	21.21	32.12	0.00	1.62	6.14	7.76	39.88
5. चंडीगड	17.11	3.99	1.26	22.36	4.90	2.65	6.00	13.55	35.91
6. लखनऊ	0.31	0.00	0.00	0.31	3.95	0.00	0.00	3.95	4.26
7. मेरठ	42.59	1.72	12.38	56.69	284.63	96.00	0.43	381.06	437.75
8. नागपुर	196.87	23.60	0.82	221.29	0.32	0.32	0.14	0.78	222.07
9. पूणे	57.40	40.27	6.81	104.48	4.85	19.42	7.51	31.78	136.26
10. मुंबई - 1	283.83	74.20	18.28	376.31	114.07	128.27	51.6	293.94	670.25
11. मुंबई - 1 के.उ.शु	29.75	12.49	81.52	123.76	25.17	6.64	0.00	31.81	155.57
12. मुंबई - 2	46.42	3.08	0.00	49.50	413.14	13.80	0.00	426.94	476.44
13. मुंबई - 2 के.उ.शु	16.92	39.55	12.18	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
14. मुंबई - 3	135.15	150.87	63.97	349.99	81.57	40.00	102.20	223.77	573.76
15. मुंबई - एलटीयु	67.12	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67.12
16. बड़ोदा	86.44	11.78	0.92	99.14	5.98	3.59	0.34	9.91	109.05
17.अहमदाबाद	654.84	228.21	59.49	942.54	4.71	4.69	33.30	42.70	985.24
18.अहमदाबाद- के.उ.शु	54.25	1.32	0.00	55.57	3.98	0.00	0.50	4.48	60.05
19.भोपाल - के.उ.शु	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	12.15	0.00	12.15	12.17
20.चेन्नै - सीशु	101.43	128.31	23.00	252.74	266.83	176.47	25.09	468.39	721.13
21.चेन्नै - के.उ.शु	160.58	0.01	0.56	161.15	3.41	0.28	0.14	3.83	164.98
22.चेन्नै - निवारक	76.26	4.00	0.84	81.10	59.30	2.76	0.75	62.81	143.91
23.बंगलोर - सीशु	224.58	8.92	13.4	246.90	43.23	6.13	7.85	57.21	304.11
24.बंगलोर - के.उ.शु	16.92	2.67	0.26	19.85	1.19	31.32	4.06	36.57	56.42
25.हेदराबाद	91.33	13.72	9.93	114.98	3.61	27.95	8.5	40.06	155.04
26.कोचिन	11.11	5.16	8.27	24.54	28.75	6.22	2.51	37.48	62.02
27.कोयम्बटूर	108.19	2.79	27.87	138.85	10.42	1.02	0	11.44	150.29
28.मैसूर	9.63	0	9.68	19.31	1.03	2.34	0.00	3.37	22.68
29.विशाखापटनम	159.59	25.09	9.31	193.99	19.98	37.46	1.85	59.29	253.28
30.कोलकत्ता - सीशु	385.28	46.13	55.85	487.26	62.40	11.37	0.32	74.09	561.35

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कालम 5+9)
	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 2+3+4)	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.कोलकता - के.उ.शु	2.06	0	0	2.06	2.60	0	0	2.60	4.66
32.भुवनेश्वर - के.उ.शु	0.00	18.25	2.27	20.52	2.05	0.48	0.51	3.04	23.56
33.पटना - सीशु (निवारक)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	2.71	0.00	2.71	2.76
34.शिलोंग - के.उ.शु	2.57	0.00	0.00	2.57	1.19	0.00	0.00	1.19	3.76
जोड़	3336.86	898.84	475.13	4710.83	1669.71	746.50	293.38	2709.59	7420.42

स्रोत: विभागीय एमआईएस, सीबीईसी, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महानिदेशक मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

1.54 महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा दिए गए इनपुट्स के परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व को नीचे तालिका 1.12 में दिखाया गया है। संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व के प्रति उगाही गई राशि का अनुपात अमहत्वपूर्ण है (0.76 प्रतिशत)। यद्यपि, घटे हुए टैरिफ और वर्गीकरण मूल्यांकन के बृहत् अन्तर को बड़े महत्व के लिए सन्तुलित किया जा सकता है।

तालिका 1.12: महानिदेशक, मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

वित्तीय वर्ष	उगाही गई राशि (करोड़ ₹)	पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी %
वि.व. 08	735	+17.22%
वि.व. 09	727	-1.09%
वि.व. 10	790	+8.67%
वि.व. 11	930	+17.70%
वि.व. 12	1096	+17.86%

स्रोत: वित्त मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और प्रति आर्थिक सहायता उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

1.55 सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए "गम्भीर क्षति" अथवा "गम्भीर क्षति की संभावना" के होने की जाँच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षित है। महानिदेशक, रक्षोपाय ने 25 जाँचे की जिन्हें परिशिष्ट 13 में दिखाया गया है। 2010 से रक्षोपाय उपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकते हैं।

एन्टी डम्पिंग शुल्क

1.56 भारत में प्रथम एन्टीडम्पिंग जाँच 1992 में प्रारम्भ की गई थी। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जाँचे प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन-पत्रों की जाँच करने के पश्चात् 281 मामलों में

एन्टी-डम्पिंग जाँचें प्रारम्भ की गईं जिसमें 35 देश/राज्य क्षेत्र (25 ईसी देशों को एकल राज्य क्षेत्र के रूप में लेते हुए) शामिल थे।

1.57 चीन पीआर, ईयू, चाइनेज टाईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस आदि एन्टी-डम्पिंग जाँचों में प्रमुख देश हैं।

1.58 मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हैं केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्ता वस्तुएं। संरक्षक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाम मात्र है। संरक्षक शुल्क कुल सीमाशुल्क का नगण्य (0.020 प्रतिशत वर्ष 2011 में) भाग बनता है। तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

कर अपवंचन, जाँच और जब्ती

शुल्क अपवंचन मामलों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शुल्क अपवंचन में नई प्रवृत्ति सोना, फ्लोरा एवं फोना, जाली भारतीय मुद्रा नोट, मेमोरी कार्ड, कच्चे हीरों के मामले में हैं।

1.59 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क-अपवंचन मामलों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि पिछले 5 वर्षों (2007-08 से 2011-12) के दौरान संख्या में एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जैसाकि **परिशिष्ट 14** में दिखाया गया है। उपर्युक्त सन्दर्भित पाँच वर्षों की अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामलों 434 से बढ़कर 527 और ₹ 726 करोड़ से ₹ 1842 करोड़ के हो गए थे। यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी उपाय प्रारम्भ किए गए थे और स्वयम् निर्धारण, आरएमएस आधारित पीसीए एवं खुफिया जानकारी को प्रारम्भ किया गया और धीरे-धीरे ओएसपीसीए में परिवर्तित किया जाना था।

निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

1.60 वित्त वर्ष 07 से वित्त वर्ष 11 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की संवीक्षा (**परिशिष्ट 15**) के दौरान यह देखा गया था कि अखिल भारतीय सहित डीआरआई स्तर पर निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

1.61 यह देखा गया था कि अखिल भारतीय और डीआरआई स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमशः ₹ 689.16 करोड़ से बढ़कर ₹ 2475.70 करोड़ और ₹ 377.40 करोड़ से ₹ 813.6 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि मशीनरी/पुर्जे, फेब्रिक्स/सिल्क यार्न आदि, इलेक्ट्रॉनिक मर्चे, नार्कोटिक ड्रग्स एवं वाहन/पोत/एयर क्राफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 तक के लिए संग्रहण की लागत

आईसीटी के स्वचलन और व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत औसत दशक लागत की अपेक्षा 4.26 प्रतिशत उच्च थी।

तालिका: 1.13: वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संग्रहण की लागत ₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात/ निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा और अन्य व्यय को अन्तरण	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्ति	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 03	131.61	270.33	0.00	401.94	44912	0.89
वि.व. 04	155.56	514.58	0.00	670.14	48629	1.38
वि.व. 05	145.42	573.10	0.00	718.52	57610	1.25
वि.व. 06	159.45	646.60	11.55	817.60	65067	1.26
वि.व. 07	152.55	687.06	10.71	850.32	86327	0.98
वि.व. 08	165.40	759.71	13.91	939.02	104119	0.90
वि.व. 09	234.56	989.28	11.65	1235.49	99879	1.24
वि.व. 10	304.38	1217.85	9.83	1532.06	83324	1.84
वि.व. 11	292.89	1420.71	4.76	1718.36	135813	1.27
वि.व. 12	306.05	1577.31	5.02	1888.38	148895	1.26
क. औसत (वि.व. 03-05)						1.17
ख. औसत (वि.व. 10-12)						1.46
ग. ख-क						0.29

स्रोत: वित्तीय लेखों से आँकड़े

1.62 संग्रहण की लागत 1.19 प्रतिशत की औसत दशकीय लागत (तालिका 1.13) के साथ 0.89 प्रतिशत से 1.84 प्रतिशत के बीच है। वित्तीय वर्ष 03 से 05 की तुलना में वित्तीय वर्ष 10 से 12 के दौरान संग्रहण की औसत लागत स्वचालन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के बावजूद 0.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.63 अपने उत्तर में डीओआर राज्यों को बाटें जाने योग्य भाज्य अंश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली संग्रहण की लागत में वृद्धि के कारण का विश्लेषण करने को सहमत हुआ।

लेखाकरण आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने जोखिम निर्धारण के अनुसार नियंत्रण आधारित आश्वासन मुहैया नहीं कराती।

1.64 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा (प्री सीसीए) द्वारा की जाती है, सीबीईसी का उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। उसी अभिलेख को संघ वित्त लेखा जिसे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है के अनुरूप मिलाया जाता है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्री सीसीए की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने 13,942 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं की लम्बन की संख्या को दर्शाया।

1.65 प्री सीसीए द्वारा वित्तीय वर्ष 12 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट अनियमितताओं को दर्शाया गया था;

- क. 29 कार्यालयों में ₹ 692 करोड़ के न्यायनिर्णय लम्बित मामले।
- ख. ₹ 13.25 करोड़ के जब्त किए गए माल का निपटान न करना और निपटान में विलम्ब।
- ग. ₹ 22 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व की गैर-वसूली
- घ. बकाया की गैर-वसूली
- ङ. राजस्व क्रेडिट (₹ 2219.40 करोड़) का गैर-मिलान
- च. प्रतिदाय छूट, फिरती का गैर मिलान
- छ. निजी पार्टियों/स्वायत्त निकायों से देयों की गैर-वसूली (₹ 21.74 करोड़)

1.66 सी.बी.ई.सी ने कहा (अप्रैल 2013) कि वेतन एवं लेखा अधिकारी इस मामले पर गौर करेंगे।

तकनीकी लेखापरीक्षा का प्रभाव-डीजी (आडिट), सीबीईसी

1.67 विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। निम्न तालिका वि.व. 05 से वि.व. 10 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है:-

तालिका 1.14 वि.व. 05 से वि.व. 10

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षाओं की संख्या	पता लगाई गई लेखापरीक्षाओं की राशि	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	सीमा शुल्क प्राप्ति में पता लगाई गई राशि	शुल्क की राशि के रूप में उगाई गई राशि	पता लगाई गई प्रतिशतता के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति में प्रतिशतता के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व. 05	25938	2094.00	280.00		3.63	13.37	0.49
वि.व. 06	28596	3846.00	581.00		5.91	15.11	0.89
वि.व. 07	64060	5046.89	894.94		5.85	17.73	1.04
वि.व. 08	71903	7503.72	1522.49		7.21	20.29	1.46
वि.व. 09	1147	260.00	74.00		0.26	28.46	0.07
वि.व. 10	2486	1025.00	232.00		1.23	22.63	0.28

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय

ईडीआई आंकलनों की गुणवत्ता

1.68 भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में केन्द्रीयकृत/संरचित प्रारूपों में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से सीमाशुल्क दस्तावेज स्वीकार करना और और जानकारी का इलैक्ट्रॉनिक ढंग से आदान-प्रदान करना, अन्य एजेन्सियों के साथ सीमाशुल्क को एकीकृत करना परिकल्पित था और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (सीईटीए) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (सीईटीए) को कार्यान्वित करने के लिए विकसित किया गया था।

प्रणाली को इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क निकासी इलैक्ट्रानिक ढंग से करने के लिए अभिकल्पित किया गया था।

1.69 आईसीईएस की समीक्षा (2009-10 के लिए सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 24) आयोजित की गई थी जिसके प्रमुख निष्कर्ष ये थे; (i) प्रणाली की रूपरेखा में कमियाँ जिसके कारण अधूरे आकड़ प्राप्त होते थे परिणाम स्वरूप हस्तगत अडचने होने के कारण सीमाशुल्क का गलत उदग्रहण होता था (ii) कारोबार के नियमों का गलत चित्रण जिससे फिरती/डीईपीबी क्रेडिट की ज्यादा राशि की संस्वीकृति हो पाती थी तथा (iii) परिवर्तन प्रबन्धन नियन्त्रणों की अपर्याप्तता जिससे अधिसूचना की प्रमुख तालिकाएँ अधिक नहीं हो पाती थीं तथा "फिरती अनुसूची" का गलत अद्यतन होता था।

लेखापरीक्षा प्रयास और सीमाशुल्क लेखापरीक्षा परिणाम

प्र. सीसीए, (पीसीए या ओएसपीएसए) द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा पर आधारित लेखाओं का डीजी लेखापरीक्षा, सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता पर कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता।

1.70 1994 में आईसीईएस शुरू करके सीमाशुल्क विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और बाद में प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि पर विभिन्न जोखिम घटकों के साथ जोखिम प्रबन्धन प्रणाली शुरू करके के आईसीईएस 1.5 संस्करण तक अद्यतित किया गया है। कम्प्यूटरीकरण आयातित माल तथा निर्यातित माल की निर्धारण प्रक्रिया में सुधार करके और शुल्क की गलत गणना, गलत टैरिफ दरों को लागू करने, छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप में लागू करने, समान्य रूप से माल के गलत वर्गीकरण की अनियमिताएं कम करना चाहता है।

1.71 वित्त वर्ष 03 से वित्त वर्ष 12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सामान्यता छः प्रकार की आपत्तियां दर्शाई गई थी जिसमें ₹ 2129.72 करोड़ वाले 1709 पैराग्राफ (तालिका 1.16) थे,

- क. गलत वर्गीकरण
- ख. छूट अधिसूचना को गलत ढंग से लागू करना;
- ग. अधिसूचना की शर्त पूरी नहीं करना;
- घ. गलत वर्गीकरण के कारण गलत छूट ;
- ड. योजना आधारित छूट;
- च. सीमाशुल्क का गलत निर्धारण;

1.72 वित्त वर्ष 07 से वित्त वर्ष 12 की अवधि के दौरान आयातित शीर्ष पांच वस्तुओं नामतः पेट्रोल,तेल,पॉलीमर्स, इलैक्ट्रानिकस, यार्न और फाइबर के संबंध लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं। इसी प्रकार निर्यात अभिमुखी इकाइयों/ईपीजेड/एसईजेड इकाइयों, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, अग्रिम प्राधिकार और विशेष कृषि उपज योजना के सम्बन्ध में इसी अवधि के दौरान अनेक आपत्तियां की गई थीं।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.73 अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रण-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

1.74 वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर,सीबीईएस संघ सरकार वित्त लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईएस के एमआईएस, एमटीआर अन्य हितधारकों के रिपोर्टों के साथ प्रयोग किये गए। महानिदेशकों (डीजी)/ प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने 2011-12 में 532 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और ₹ 10,824 करोड़ के मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी कीं।

1.75 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय एक सीमाशुल्क राजस्व ढांचे समग्र सकल संघ राजस्व के सम्बन्ध में और महत्व का विश्लेषण करता है। परिणामी विषय क्षेत्र की लेखापरीक्षा की गई और अध्याय दो में प्रस्तुत की गई, जो योजना आधारित शुल्क छूट या छोड़े गए शुल्क उपशमन पर आपत्तियां प्रतिवेदन करता है जबकि अध्याय तीन गलत निर्धारण के मामले, अध्याय चार सामान्य छूट के गलत अनुप्रयोग के मामले, और अध्याय पांच माल के गलत वर्गीकरण के मामले उजागर करता है। वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 31.48 करोड़ के 31 पैराग्राफ हैं। हमने मार्च 2012 तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए 90 अन्य पैराग्राफ जारी किए थे। विभाग /मंत्रालय ने ₹ 30.80 करोड़ मूल्य के इन 90 पैराग्राफों में कारण बताओं ज्ञापन जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों में निर्णय करने उपचारी कार्यवाही पहले ही कर ली तथा ₹ 27.76 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

1.76 मार्च 2013 को कई प्रक्रियों तथा क्षेत्रों पर हमारे बताये गये निष्कर्ष और उपचारी कार्यवाही की स्थिति तालिका 1.15 में दी गई है:

तालिका संख्या 1.15

प्रतिवेदन संख्या	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
संख्या 1998 (सी.शु) का 10	1	-	-	-
संख्या 2005 (सी.शु) का 10	-	-	-	-
संख्या 2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का 7	1	-	5	-
संख्या 2007 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का 7	3	-	1	-
संख्या 2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	3	-	1	-
संख्या 2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20	-	-	5	-
संख्या 2009-10 का 14	1	-	1	1
संख्या 24/2010-11	1	-	3	-
संख्या 2011-12 का सीए 31	6	1	7	5
कुल	16	1	23	6

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.77 योजना के परिणामों के बताने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि विशिष्ट निष्पादन संकेतकों और सफलता मापों के अभाव के कारण परिणाम को मापना मुश्किल था। 2004-05 से आगे प्रतिवेदनों ने सिफारिशें देने आरम्भ की गई, 74 सिफारिशें दी गई, जिनमें से 44 सरकार द्वारा स्वीकार की गई। सामान्यता पेशेवर लेखापरीक्षा मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश 2004 को अपनाते हुए योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए पांच वर्ष की अवधि ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2002 से वित्तीय वर्ष 2012 की अवधि के दौरान की गई, निष्पादन समीक्षाएं **परिशिष्ट 16** में दी गई है।

लोक लेखा समिति

1.78 पीएसी ने चर्चा के लिए 10 समीक्षाएं (आंशिक या पूर्ण) उठाई है, जिसमें से तीन समीक्षाओं पर की गई कार्यवाही टिप्पणी तैयार की गई है। सभी विषयों पर एसईजेड पर पीएसी द्वारा व्यापक चर्चा हुई, जिस पर एटीआर प्राप्त हुआ है, पीएसी सिफारिशें कर नीति, प्रशासन और अपर्याप्त मॉनीटरिंग के साथ-साथ अंतर मंत्रालयी समन्वय परिणाम योजना के मामलों में भी ऐसा पाया गया है।

सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.79 गत दस लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 2129.73 करोड़ के 1709 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (**तालिका 1.16**)। सरकार ने इनमें से ₹ 1177.03 करोड़ वाले 1390 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 156.89 करोड़ की वसूली की। ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए है:

तालिका 1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली (₹ करोड़)					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व 03	252	222.42	165	132.23	16	0.6	181	132.83	106	8.70	16	0.60	122	9.30
वि.व 04	251	941.10	177	94.44	11	494.84	188	589.28	128	10.06	23	1.59	151	11.65
वि.व 05	256	355.79	178	45.41	5	0.87	183	46.28	122	4.13	5	0.87	127	5.00
वि.व 06	139	63.22	74	25.92	38	6.84	112	25.92	49	11.69	36	5.93	85	17.62
वि.व 07	133	121.99	94	105.18	25	8.15	119	113.33	57	7.32	25	2.31	82	9.63
वि.व 08	182	96.50	137	37.83	27	5.51	164	43.34	80	9.85	22	4.08	102	13.93
वि.व 09	133	56.20	101	33.75	23	10.89	124	44.64	68	16.54	18	3.30	86	19.84
वि.व 10	124	79.62	102	32.71	7	2.35	109	35.06	63	18.01	3	0.37	66	18.38
वि.व 11	118	130.61	102	98.68	14	11.81	102	98.68	56	17.81	3	4.07	59	21.88
वि.व 12	121	62.28	108	47.67	लागू नहीं		108	47.67	79	29.66	लागू नहीं		79	29.66
जोड़	1709	2129.73	1238	653.82	166	541.86	1309	1177.03	808	133.77	151	23.12	959	156.89

स्रोत: सीएजी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अध्याय II

शुल्क छूट/माफी योजनाएं

2.1 सरकार अधिसूचना द्वारा निर्यात संवर्धन के अंतर्गत इनपुटों और पूँजीगत माल को आयात करने के लिए सीमाशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। ऐसी छूट प्राप्त माल के आयातकों को कुछ निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने के साथ साथ विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के लिए वचन देना होता है जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उद्ग्राह्य होती है। जुलाई 2007 से नवम्बर 2011 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2010 से फरवरी 2012) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहां ईओज/शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था जिन पर निम्नांकित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुल राजस्व प्रभाव ₹ 20.48 करोड़ है।

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए) बेंगलोर ने गैर मानक इनपुट आउटपुट प्रतिमान (सियोन) मद के लिए लाइसेंस जारी किया जिससे लाइसेंसधारी को ₹ 6.40 करोड़ का लाभ हुआ।

2.2 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 का पैराग्राफ 4.1.3, इनपुटों के मुक्त आयात के लिए मानक इनपुट और आउटपुट (सियोन) प्रतिमान पर आधारित अग्रिम लाइसेंस जारी करने की अनुमति प्रदान करते समय जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार के कार्यक्षेत्र से किसी उत्पाद (दों) को अलग करने का अधिकार प्रदान करता है। डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 31 दिनांक 14 दिसम्बर 2004 द्वारा उत्पाद ग्रुप-खाद्यान्न उत्पादों की क्र. सं. ई90 में प्रदर्शित सियोन प्रतिमान को हटा दिया गया है। डीजीएफटी ने उसी सार्वजनिक सूचना द्वारा पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खंड-1, 2004-09 के पैराग्राफ 4.7 में भी यह संशोधित कर दिया कि काली मिर्च के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस (स्वतः-घोषणा पर आधारित) दोनों में से कोई एक एचबीपी के पैराग्राफ 4.7 के अन्तर्गत जारी नहीं किया जाना चाहिए। अतः, काली मिर्च के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी करने के लिए दोनों संभव विकल्पों को हटा दिया गया था। संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार ने नीति परिपत्र सं. 03/2005-09 दिनांक 21 अप्रैल 2005 द्वारा सियोन प्रतिमानों के क्रम सं. ई 90 के विलोपन को दोहराया।

2.3 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बेंगलोर ने संसाधित काली मिर्च के निर्यात के प्रति काली मिर्च के आयात के लिए प्राधिकृत करते हुए मै. एस ए रावथर स्पाईसेस प्राईवेट लि. बंगलोर को अग्रिम प्राधिकार (एए) जारी किया (मार्च 2007)। लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क हाउस, कोची के माध्यम से ₹ 80.99 करोड़ मूल्य का सीटी एच 09041140 के अंतर्गत आने वाले असंसाधित काली मिर्च की 23 खेपों का आयात

किया (मार्च और जुलाई 2007) और ₹ 6.40 करोड़ सीमाशुल्क का लाभ उठाया। आरएलए द्वारा लाइसेंस जारी करना और उसके बाद काली मिर्च का आयात करना अनियमित था क्योंकि लाइसेंस जारी करने के समय और आयात की तारीख तक भी काली मिर्च उपयोग एए के आयात पर प्रतिबंध लागू था। तदनुसार, आयातक से ₹ 6.40 करोड़ के शुल्क की ब्याज सहित वसूली बनती थी।

2.4 सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, कोची ने बताया (मई 2011) कि आरएलए, बेंगलूर द्वारा जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस में संलग्न शर्त शीट के अनुसार आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2.5 आरएलए, बेंगलूर ने बताया (फरवरी 2012) कि सार्वजनिक सूचना सं. 63 दिनांक 28 मार्च 2005 के साथ पठित एचबीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 4.7 के अनुसार लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें यह निर्धारित था कि एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 4.7 के अंतर्गत मसाले के निर्यात के प्रति लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन तात्कालिक मामले में, काली मिर्च का आयात करने के लिए सियोन ई-90 द्वारा संसाधित के आयात के प्रति प्रतिमान उपलब्ध था और इसलिए, उपरोक्त प्राधिकार जारी किया गया था।

2.6 आरएलए, बेंगलूर के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना कि सियोन प्रतिमान ई-90, डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 31 दिनांक 14 दिसम्बर 2004 अर्थात् मार्च 2007 में लाइसेंस जारी करने और 2007 में किए गए वास्तविक आयातों के पहले ही हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग का जवाब सार्वजनिक सूचना सं. 63 दिनांक 28 मार्च 2005 में जैसा परिकल्पित था के प्रतिकूल भी है, जिसमें स्पष्टतया यह कहा गया था कि आईटीसी (एचएस) का अध्याय 9 एवं 12 के अंतर्गत वर्गीकृत मसाले जिसका शुल्क 30 प्रतिशत से अधिक है और ऐसे प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले आयातित मद 'काली मिर्च' के लिए लाइसेंस जारी नहीं करना चाहिए।

2.7 वित्त मंत्रालय, ड्रबैक डिवीजन के प्राधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सीमाशुल्क आयुक्त कोचिन ने आयातों हेतु अनुमति जेडीजीएफटी, बेंगलूर द्वारा जारी लाइसेंस के अनुसार दी थी। उसे लेखापरीक्षा आपत्ति के कारण बन्द नहीं किया गया था जिस डीईईसी बान्ड के तहत निकासियों की गई थीं तथा मामला जेडीजीएफटी बेंगलूर को भेज दिया गया है।

2.8 डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि नीति में छूट देने वाली समिति ने जून 2012 में आयोजित अपनी बैठक (एनओसी/13 दिनांक 12 जून 2012) में मामले को नियमित कर दिया गया था क्योंकि फर्म ने आरए बेंगलूर द्वारा जारी प्राधिकार के अनुसार आयात किए थे। समिति ने पाया कि लाइसेंस जारी करते समय आरए ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया था कि निबन्धन पहले से ही हटा दिए/निलंबित कर दिए गए थे।

2.9 डीजीएफटी दिल्ली के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि आरए द्वारा लाइसेंस जारी करते समय विद्यमान निबन्धनों को नजर अन्दाज करने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लाइसेंस धारक को अनभिप्रेत लाभ हुआ। इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), चेन्नई ने आनियमित रूप से अग्रिम प्राधिकार को सम्मिलित कर दिया जिसके कारण लाइसेंसधारी को ₹ 43.72 लाख के शुल्क का लाभ हुआ।

2.10 पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी) खंड-1 (2009-14) के पैराग्राफ 4.20.3 में वर्णित है कि एए धारक को आयात अथवा निर्यात करने के लिए आगे उपयोग के बिना प्रतिदान/नियमितिकरण करने हेतु प्राधिकार को सम्मिलित करने की सुविधा है। यह सुविधा केवल एए (एस) के लिए उपलब्ध है, जहां निर्यात दायित्व में कमी है जिसे एए (एस) के साथ सम्मिलित किए जाने की मांग की गई है और जो आयात करने के लिए वैध है।

2.11 क्षेत्रीय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (आरएलए), चेन्नई ने लचीला मध्यवर्ती थोक कंटेनरों का निर्यात करने के लिए "पोलीप्रोपायलेन (पीपी) ग्रेन्यूल्स" के 2,65,785 कि.ग्रा. के शुल्क मुक्त आयात हेतु मै. विर्गो पोलिअर (इंडिया) लि. को अग्रिम प्राधिकार जारी किया (सितम्बर 2006)। प्राधिकारधारक ने जारी किए गए लाइसेंस (सितम्बर 2006) के प्रति निर्यात दायित्व में कमी को नियमित करने के लिए जुलाई और अक्टूबर 2006 में जारी किए गए तीन अन्य एएज के साथ इस प्राधिकार को सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया (अप्रैल 2009) जिसमें दोनों आयातों और संगत अथवा अधिक निर्यातों को बनाया गया था। आरएलए ने उचित रूप से यह कहते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया कि ईओ में कमी सहित सितम्बर 2006 में जारी किए गए प्राधिकार के साथ सम्मिलित किए जाने वाले तीन प्राधिकारों की मांग समाप्त हो गई थी और आवेदन की तारीख तक आयात करने के लिए वैध नहीं थी। आरएलए ने सम्मिलित करने के लिए प्राधिकारधारक के बाद के अनुरोध (जुलाई 2010) को उसी कारण से अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2010)। आरएलए ने एक बार फिर अप्रैल 2010 में जारी किए गए एक एए के साथ उपरोक्त चार एएज (जुलाई/सितम्बर/अक्टूबर 2006 में जारी किए गए) को सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया (नवम्बर 2010) जो आयात के लिए वैध था। आरएलए ने पहले तो उसी प्रकार पहले के आधार पर सम्मिलित करने को अस्वीकार कर दिया (नवम्बर 2010) लेकिन बाद में लाइसेंसधारियों के अभ्यावेदन पर अप्रैल 2010 में जारी किए गए के साथ सितम्बर 2006 में जारी किए गए एए को सम्मिलित करने के लिए प्रतिबंध के बजाए उसे सभी पाँच प्राधिकारों को अनुचित रूप से सम्मिलित और मुक्त कर दिया (जनवरी 2011) क्योंकि जुलाई और अक्टूबर 2006 में जारी किए गए अन्य तीन प्राधिकारों में कमी नहीं थी।

2.12 निर्यात दायित्व में कमी और प्रथम दृष्टांत में उचित रूप से अस्वीकृत सहित जुलाई/अक्टूबर 2006 में जारी किए गए 3 एएज सहित सभी 5 एएज को सम्मिलित करने में आरएलए की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2,43,265 कि.ग्रा. के अधिक आयात पर ₹ 43.72 लाख शुल्क की अदायगी नहीं हुई।

2.13 डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि चार प्राधिकार अप्रैल 2010 में जारी प्राधिकार जोकि एचबीपी के पैराग्राफ 4.20.3 के तहत आयात हेतु वैध था, के साथ मिला दिए गए थे। डीजीएफटी, दिल्ली के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम प्राधिकार (प्राधिकारों) को आयात देयता में कमी को पूरा करने हेतु मिलाना अनुमत है। परन्तु इस मामले में मिलाए गए चार अग्रिम प्राधिकारों में से तीन में आयात देयता पूरी होने में कोई कमी नहीं है। तदनुसार, ये तीन लाइसेंस नहीं मिलाए जाने चाहिए थे।

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बंगलोर द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए दायित्व अवधि की समाप्ति के पश्चात किए गए निर्यातों को गिना।

2.14 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार इनपुटों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है जिसे विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति के अध्यक्षीन निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पद्धति हस्तपुस्तिका (एचबीपी), खंड-1 के पैराग्राफ 4.28 के अनुसार ईओ की पूर्ति में विफल होने पर लाइसेंसधारी अप्रयुक्त कच्चे माल पर ब्याज सहित सीमाशुल्क और शास्ति अदा करने का दायी था।

2.15 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), बंगलोर ने ₹ 3.16 करोड़ मूल्य के किसी ग्रेड (डुपियन यार्न से भिन्न) के शहतूत के कच्चे रेशम (एमआरएस) का 21600 कि.ग्रा. और डुपियन सिल्क यार्न के 7500 कि.ग्रा. का इस निर्धारण के साथ शुल्क मुक्त आयात करने के लिए मै. खोडे सिल्क ट्विस्टिंग फैक्टरी, बंगलोर को दो अग्रिम लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए (दिसम्बर 2007) कि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 36 महीने के अंदर (अर्थात दिसम्बर 2010 तक) ₹ 1.59 करोड़ मूल्य का 100 प्रतिशत प्राकृतिक रेशम कपड़े/शहतूत के कच्चे रेशम के धागे का 8093.25 कि.ग्रा और ₹ 1.95 करोड़ मूल्य का 100 प्रतिशत 'प्राकृतिक सिल्क कपड़े' का 13165 कि.ग्रा. निर्यात करें।

2.16 लाइसेंसधारी ने अक्टूबर 2008 से मई 2010 के दौरान सीमाशुल्क हाउस चेन्नई के माध्यम से ₹ 3.62 करोड़ मूल्य की कच्चे सामग्रियों का आयात किया था और ₹ 1.05 करोड़ का शुल्क छोड़ दिया गया था। हमने पाया कि 20474.09 कि.ग्रा. कपड़े/धागे के कुल निर्यात में से, लाइसेंसधारी ने दायित्व अवधि अर्थात दिसम्बर 2010 तक केवल 9628.52 कि.ग्रा. का निर्यात किया था और शेष 10845.57 कि.ग्रा. कपड़े/धागे का निर्यात 29 जून/7 जुलाई 2011 अर्थात दायित्व अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया था (दिसम्बर 2010)।

2.17 चूँकि लाइसेंसधारी निर्धारित ईओ पूरा करने में विफल रहा, उसके ऊपर ब्याज सहित ₹ 55.97 लाख के आनुपातिक सीमाशुल्क का भुगतान देय था।

2.18 *डीजीएफटी, दिल्ली ने माना कि फर्म ने आंशिक निर्यात प्राप्त किए थे तथा मामले को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे।*

भारत सेवी योजना (एसएफआईएस)

आरएलए चेन्नई ने शुल्क क्रेडिट की मंजूरी हेतु अयोग्य सेवाओं से प्राप्तियों को स्वीकार किया।

2.19 टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004 का एसटीसी भाग 137) के मामले में और बीएसएनएल बनाम भारतीय संघ एवं अन्य (2006 के एसटीसी भाग 145) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि कॉपीराइट या टाइटल का प्रयोग माल बिक्री अधिनियम के तहत 'माल' के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, कॉपीराइट या टाइटल का प्रयोग करने से प्राप्त कमाई एसएफआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु नहीं गिनी जाएगी।

2.20 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई ने मै. सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, तथा मै. कालायंगनर टीवी प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2009-10 के दौरान उनके द्वारा अर्जित ₹ 46.98 करोड़ तथा ₹ 3.55 करोड़ मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत क्रमशः ₹ 4.70 करोड़ तथा ₹ 0.35 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की मंजूरी एसएफआईसी के तहत दी (मई 2010)। शुल्क क्रेडिट उनके द्वारा विभिन्न विदेशी टीवी चैनलों से अर्जित लाइसेंस शुल्क हेतु मंजूर किया गया था। यह कमाई सीएफआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु संगणित नहीं की जा सकती क्योंकि यह टाइटल या कॉपीराइट के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण से नहीं हुई थी और न ही किसी सेवा को प्रदान किए जाने के कारण। इससे ₹ 5.05 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की गलत मंजूरी हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

2.21 *डीजीएफटी, दिल्ली ने कहा कि एफटीपी/एचबीपी में कोई शर्त नहीं है कि एसएफआईसी हकदारी की गणना करते समय कापी राइट को 'माल' के रूप में समीकृत किया जाना तथा गिना नहीं जाना चाहिए, डीजीएफटी, दिल्ली ने यह भी कहा कि सम्बन्धित पार्टियों ने टीवी चैनल होने के कारण भारत से दी गई सेवाओं के लिए एसएफआईएस का दावा किया।*

2.22 उत्तर पर इस तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि माल के आयात एसएफआईएस की हकदारी की गणना के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि कापीराइट को सर्वोच्च न्यायालय ने भी 'माल' के रूप में स्वीकृत किया है। इसके इलावा बैंक से जारी किए गए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र से ज्ञात हुआ कि एफई की वसूली मीडिया के रूप में वीडियो कार्यक्रमों की आपूर्ति हेतु लाइसेंस फीस के रूप में हुई थी न कि कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के माध्यम से।

विदेशी व्यापार के महानिदेशक नई दिल्ली से दिशा-निर्देशों के बावजूद संयुक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार, चेन्नई संस्वीकृत दूर संचार क्षेत्र के एसएफआईएस मामलों की समीक्षा नहीं करते जो राजस्व भुगतान टालने का कारण बन सकता है।

2.23 महानिदेशक विदेश व्यापार वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने दि. 15 जुलाई 2010 के अपने नीति परिपत्र सं. 38/2009-10 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरणों (आरएलए) को लाइसेंसधारी से जुलाई 2010 की नीति निर्धारण समिति (पीआईसी) की बैठक के निर्णय के आधार पर छः महीने के भीतर सभी पुराने संस्वीकृत दूर संचार क्षेत्र के एसएफआईएस मामलों की समीक्षा करने एवं वांछित सूचना मंगाने एवं उनकी हकदारी की पुनः गणना हेतु यदि कोई हो तो अधिक मंजूरी की वसूली करने का निर्देश दिया। यह समीक्षा जुलाई 2010 में जारी नीति परिपत्र की तिथि से छः महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। प्रत्येक टेलीकॉम क्षेत्र आवेदक के लिए समीक्षा की प्रगति डीजीएफटी मुख्यालय को हर महीने सूचित की जानी थी।

2.24 संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई ने मै. डिशनेट वायरलेस लिमिटेड; एसएफआईएस के तहत एक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को अप्रैल से अगस्त 2009 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत पर ₹ 2.14 करोड़ की शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी (जून 2010)। हमने पाया कि यद्यपि शुल्क पावती पत्र बताए गए परिपत्र से पहले जारी किया था तथा आरएलए, चेन्नई द्वारा जनवरी 2011 तक समीक्षा की जानी थी, किन्तु मई 2011 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, आरएलए द्वारा कार्रवाई न करने से एसएफआईएस क्रेडिट की अधिक मंजूरी के मामले में, यदि कोई हो, राजस्व अदायगी टाल दी गई।

2.25 डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (फरवरी 2013) कि मै. डिशनेट वायरलेस लि. ने अपने उत्तर में मै. वोडाफोन एस्सार लि. द्वारा दायर 2010 की (समादेश याचिका सं. 2357) याचिका में बैंगलोर उच्च न्यायालय के निर्णय का उद्धृत किया है जिसमें डीजीएफटी के दिनांक 15 जुलाई 2010 के नीति परिपत्र को एफटीपी 2004-09 के प्रति विपरित मानते हुए अमान्य करार दिया है। फर्म ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में आन्तरिक राहत पाने की सरकार द्वारा की गई प्रार्थना 2011 की (सामान्य अपील संख्या 10117) को भी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी (आरएलए) चेन्नई ने निर्यातक की स्थिति की जांच किए बिना ही वीकेजीयूवाई के तहत क्रेडिट अनुमत किया।

2.26 एफटीपी 2004-09 के पैरा 3.8.2 के अनुसार अधिसूचित उत्पादों के निर्यातक विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अन्तर्गत निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट शेयर के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2008 से निर्यात किए गए फूलों, फलों और सब्जियों हेतु निर्यात के एफओबी मूल्य पर 5 प्रतिशत अनुमत के अलावा के 2.5 प्रतिशत के लिए अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट

शेयर था। निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (इओयू) जो प्रत्यक्षकर लाभ/छूट नहीं लेती वे भी एफटीपी के पैरा 3.8.2.1 के संबंध में वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट हेतु पात्र होंगी बशर्ते वे क्षेत्राधिकारी आयकर प्राधिकरण से छूट स्थिति के परिवर्तन के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे यह पता चले कि वे आगे से प्रत्यक्ष कर छूट का दावा नहीं करेंगी (डीजीएफटी के परिपत्र सं 56 (आरई-2008)/2004-09 दिनांक 21 जनवरी 2009)।

2.27 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), चेन्नई ने मै. सुदर्शन ओवरसीज़ लिमिटेड, 100 प्रतिशत इओयू को खजूर, अंजीर, आम और ताजे या सूखे आम के टीन (क्रमांक 13.10, परिशिष्ट 37 ए की तालिका 13) की 51 खेपों (जून 2008 से मार्च 2009) के निर्यात हेतु एफओबी मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर से दो वीकेजीयूवाई शेयर जारी किए (मई 2009)। इन दो शेयरो में कुल ₹ 92.66 लाख के शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी गई। निर्यातक द्वारा दाखिल शिपिंग बिल के रूप में निर्यात योजना कोड '21' में इओयू होने का स्पष्ट संकेत दिया लेकिन इकाई क्षेत्राधिकारी आयकर प्राधिकरण से छूट स्थिति के बदलाव संबंधी निर्धारित प्रत्यक्ष कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। आरएलए चेन्नई भी ऐसे साक्ष्य मंगाकर निर्यातक की स्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहा जो इओयूज द्वारा वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क दावा करने हेतु पूर्व-निर्धारित है। इस त्रुटी से ₹ 92.66 लाख की गलत शुल्क क्रेडिट की मंजूरी दी गई, जिसकी इकाई से वसूली की जानी चाहिए।

2.28 जब हमने इसे इंगित किया (मई/जून 2011/मार्च 2012), विभाग से कोई उत्तर नहीं मिला। जबकि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा सत्यापन करने पर यह देखा गया कि आवश्यक प्रत्यक्ष कर छूट प्रमाणपत्र जमा करने के लिए इकाई को आरएलए चेन्नई द्वारा जारी किए गए कई पत्र अप्राप्य वापस कर दिए गए। विभाग ने बाद में निर्यातक की आयात-निर्यात संहिता (आईईसी) निलंबित कर दी थी (सितम्बर 2011)।

2.29 सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई ने, इस दौरान अक्टूबर 2011 में पाया कि पूर्व कंपनी ने मै. रायलसीमा कमोडिटीज़ लिमिटेड, चेन्नई नाम से एक नई कंपनी बना ली थी और अपना पत्राचार पता बदलने का अनुरोध किया था। तदनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने नई कंपनी से पहले से जारी दो वीकेजीयूवाई शेयरों के संबंध में प्रत्यक्ष कर छूट प्रमाणपत्र की माँग की। सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई ने इकाई को ₹ 92.66 लाख का शुल्क क्रेडिट वापिस करने का निर्देश दिया (जनवरी 2012) क्योंकि यह आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही। इकाई से कोई उत्तर नहीं मिला है (दिसम्बर 2012)।

2.30 तथ्य यह है कि अनियमित रूप से मंजूर ₹ 92.66 लाख के शुल्क क्रेडिट की वसूली हो या जारी किए गए वीकेजीयूवाई शेयरों के निरस्तीकरण के लिए, विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही न करने से सरकार को हानि होने की पूरी संभावना है।

2.31 डीजीएफटी दिल्ली ने बताया (फरवरी 2013) कि वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी।

निर्यात दायित्व का पूरा नहीं किया जाना

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), अहमदाबाद ने निर्यात दायित्व पूरे करने के लिए अयोग्य निर्यात गिने।

2.32 एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 5.5 (iv) के अनुसार ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात भौतिक निर्यात होना चाहिए। तथापि, पैराग्राफ 8.2 (ए), (बी), (डी) (एफ), (जी) और (जे) में निर्दिष्ट डीमड निर्यात, निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति गिना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि "ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति" जैसा पैराग्राफ 8.2 (सी) अर्थात् ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति के अंतर्गत दिया गया है, निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति नहीं मानी जाएगी।

2.33 क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी (आरएलए), अहमदाबाद ने मैसर्स एल्फा निप्पो इनोवेटिव लिमिटेड को तीन ईपीसीजी प्राधिकार जारी किए (मार्च से जून 2006); प्राधिकार धारक ने प्रतिदान के लिए इन तीनों ईपीसीजी प्राधिकार¹⁰ को इकट्ठा करने के लिए आवेदन किया (अगस्त 2009) और तदनुसार आरएलए ने ईपीसीजी प्राधिकार के लिए ₹ 50.77 लाख के औसत निर्यात निष्पादन (एईपी) और ₹ 9.64 करोड़ के नए विशिष्ट निर्यात दायित्व तय और इकट्ठा करने की अनुमति दी (अगस्त 2009)। प्राधिकार धारक द्वारा निर्यात दस्तावेजों को जमा कराने पर, मई 2010 में आरएलए द्वारा निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया गया था। हमें प्रतिदान के लिए आवेदन पत्र के साथ जुड़े हुए सीए प्रमाणपत्र की संवीक्षा से पता चला कि प्राधिकार धारक ने 2006-07 में अन्य ईपीसीजी प्राधिकार धारकों¹¹ को माल की आपूर्ति द्वारा ₹ 6.59 करोड़ के डीमड निर्यात को प्रभावित किया। तथापि, प्राधिकार धारक द्वारा मार्च 2006 के प्राधिकार के प्रति विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रति अन्य ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को आपूर्ति किए गए माल (₹ 6.59 करोड़) के मूल्य में से ₹ 3.75 करोड़ की राशि का दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 करोड़ के निर्यात दायित्व की पूर्ति में कमी हुई और वसूली के लिए समानुपातिक सीमाशुल्क की वसूली की जानी थी।

2.34 डीजीएफटी, दिल्ली ने बताया (दिसम्बर 2012) कि प्रदान किया गया ईओडीसी निरस्त कर दिया गया था। हालांकि लाइसेंसधारक ने मार्च-जून 2014 अर्थात् तीन लाइसेंसों की वैध अवधि तक निर्यात देयता पूरी कर सका। तथ्य यही है कि ईओडीसी को लेखापरीक्षा के हस्ताक्षेप के बाद ही निरस्त किया गया था।

¹⁰ प्राधिकार संख्या 0830001219, दिनांक 7.3.2006, 0830001273 दिनांक 17.4.2006 और 0830001353 दिनांक 13.6.2006

¹¹ मैसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इन्डिया) लि. तथा 7 अन्य

स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज)/एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयूज)

कालातीत हुए डीएफआईए लाइसेंस के प्रति शुल्क की छूट

2.35 सेज नियम 2006 के 47(1) नियम के साथ पठित सेज अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार एक सेज के डीटीए से निकसित कोई माल सीमा शुल्क के वैसे भुगतान के योग्य है जैसा आयात लाइसेंस प्रस्तुत करते समय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों के अन्तर्गत माल पर उद्घ्राह्य होता है। इसके अलावा, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) के लिए आयात की वैधता अवधि 24 माह है [प्रक्रिया हैंडबुक (एचपीबी) वोल्यूम-1 का पैराग्राफ-2.12 (i)] तथा निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) जोकि पहले 24 माह थी, जारी तिथि से 36 माह हो गई है (दिनांक 26 फरवरी 2009 के सार्वजनिक ज्ञापन (पीएन) 151 तथा पॉलिसी परिपत्र संख्या 80 तथा 86 (आरई-2008)/2004-2009 के साथ पठित एचपीबी वोल्यूम-1 के पैराग्राफ 4.22)। मूल लाइसेंस प्राधिकारी धारक की प्रार्थना पर लाइसेंस प्राधिकरण आयात के लिए समाप्ति की तिथि से 6 माह की एक पुनःवैधीकरण अवधि को मंजूरी दे सकता है (एचपीबी के पैराग्राफ 4.23 तथा 4.65)।

2.36 मै. एक्सोटिका इंटरनेशनल कोलकाता एक डीटीए यूनिट ने मै. रोटो इंडिया तथा मै. एस आर इंटरप्राइजेज नाम की दो फाल्टा सेज इकाइयों से "सिल्क फेबरीक" के ₹ 3.17 करोड़ मूल्य के 10 प्रेषणों को मंजूरी दी (अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच)। सीमाशुल्क के उपायुक्त, फाल्टा सेज ने विदेशी व्यापार, कोलकाता (आरएलए) के संयुक्त महानिदेशक द्वारा मार्च 2008 में जारी किए डीएफआईए लाइसेंस के प्रति ₹ 72.70 लाख की राशि के पूर्ण शुल्क भुगतान की छूट की अनुमति दी। हालांकि आयात के लिए डीएफआईए लाइसेंस के जारी होने से 24 माह तक की वैधता अगस्त 2010/मार्च 2011 में मिली मंजूरी से पहले ही मार्च 2010 में समाप्त हो चुकी थी तथा इसकी वैधता बढ़ाई नहीं गई थी। उपर्युक्त नीति परिपत्रों के अनुसरण में केवल ईओ अवधि 24 माह से 36 माह तक बढ़ाने के लिए आरएलए द्वारा लाइसेंस में संशोधन किया (जुलाई 2010)। परन्तु सीमाशुल्क प्राधिकरण ने ईओ अवधि को आयात के लिए वैधता जो केवल 24 माह बनी रही, (मार्च 2010 तक) उसे गलती से ईओ की बढी सीमा 36 माह तक माना।

2.37 इस प्रकार, कालातीत डीएफआईए लाइसेंस के प्रति ₹ 72.70 लाख की राशि पर शुल्क छूट का लाभ उठाना अनियमित था तथा यह डीटीए यूनिट से ब्याज सहित वसूली योग्य था।

2.38 फाल्टा सेज, सीमाशुल्क के अधीक्षक ने बताया (जून 2012) कि उन्होंने फर्म को यह पूछते हुए लिखा है कि उनसे शुल्क की छूट की राशि वापिस क्यों नहीं लेनी चाहिए, जबकि उन्होंने बताई गई लाइसेंस की वैधता के प्रमाण के रूप में आरएलए से निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जमा नहीं कराया था।

2.39 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के उत्तर में फाल्टा सेज प्राधिकरण की कार्यवाही तथ्य के इस संदर्भ में है कि आरएलए द्वारा ईओडीसी प्रस्तुत करने का इस मामले में कोई संबंध

नहीं है, क्योंकि इसकी प्रस्तुति फर्म के कालातीत लाइसेंस के प्रति आयात पर ब्याज तथा शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से दोषमुक्त नहीं करेगी। अतः, विभाग को आरएलए से ईओडीसी के लिए इंतजार करने के बजाय तुरन्त वसूली कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रस्तुति को वैध छूट में नहीं बदला जाएगा। विभाग को अगस्त 2012 में इसके बारे में बता दिया गया था, कि उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

डीटीए निकासी पर उत्पादन शुल्क का कम उद्ग्रहण

केन्द्रीय उत्पाद कमीशनरी पुणे-III ने निर्यात उत्पाद पर अधिक डीटीए निकासियों की अनुमति दी ।

2.40 यथा संशोधित विदेशी व्यापार पॉलिसी (एफटीपी), 2008-09 का पैराग्राफ 6.8 (ए) नियत करता है कि एक ईओयू सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) को पूरा करने के अध्यक्षीन शुल्क की रियायती दर पर अपने निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बेच सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमित करता है कि यूनिटें जो एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण और निर्यात कर रही हैं इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री निर्यातों के एफओबी मूल्य समग्र पात्रता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो विशेष उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य का 75 प्रतिशत (2009-10 से 90 प्रतिशत) तक इनमें से किसी उत्पादों को डीटीए को बिक्री कर सकती हैं।

2.41 विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईपीजेड ने थोक दवाओं " के विनिर्माण और निर्यात करने के लिए पुणे III कमिश्नरी में मै. सिप्ला लि, (यूनिट-), को फरवरी 2004 में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया। अधिसूचना सं. 23/2003 के.उ. दिनांक 31 मार्च 2003 के अंतर्गत शुल्क के रियायती दर पर डीटीए में वर्ष 2009-10 के दौरान दो थोक दवाओं नामतः ₹ 3.34 करोड़ मूल्य के "फ्लुकोनाजोल" और ₹ 6.76 लाख के मूल्य का "ग्लेटिरामर एसेटेट" की निकासी की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009-10 के दौरान निर्यात किए गए फ्लुकोनाजोल और ग्लेटिरामर का एफओबी मूल्य क्रमशः ₹ 93.55 लाख और ₹ 6.75 लाख था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कथित उत्पादों की अनुमति इन मदों के निर्यात को एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए चूंकि यूनिट ने डीटीए में इस माल के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक की निकासी की थी, इसलिए, शुल्क की रियायती दर पर अनुमति अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.20 लाख की कम उगाही हुई।

2.42 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे III कमिश्नरी के प्राधिकारियों ने निष्कर्ष का विरोध किया और कहा (मार्च 2012) कि इन थोक दवाओं का विनिर्माण जारी किए गए एलओपी के अनुसार किया गया था और निर्धारित स्थिति धारक है और शुल्क के रियायती दर पर डीटीए बिक्री की अनुमति के लिए विकास आयुक्त (डीसी) को सूचित किया था। उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने आगे कहा कि 2009-10 और 2010-11 के दौरान इन विशेष उत्पादों की डीटीए बिक्री का कुल मूल्य थोक दवाओं के एफओबी

मूल्य के 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर था। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए ₹ 42.90 लाख का विभेदक शुल्क वसूल किया जाना था और सुरक्षात्मक माँग ज्ञापन जारी करने के लिए प्रक्रिया के अधीन है।

2.43 विभाग के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना है कि लेखापरीक्षा उनके एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत के अंदर डीटीए में इन दवाओं की अनुमति के लिए नहीं बल्कि विशेष उत्पादों के निर्यात का एफओबी मूल्य की 90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक में विशेष दवाओं की अनुमत पर आपत्ति उठा रही है।

2.44 मामला, मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2012); उनसे जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

2.45 विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, मुम्बई ने रसायनों नामतः "अल्फा/बिटा आईनोन, सिट्रोनेल्लोल, सिट्रोनेल्लल आदि" के विनिर्माण और निर्यात करने के लिए मै. प्रिवि अर्गेनिक लि. को स्वीकृति पत्र (एलओपी) की मंजूरी दी (नवम्बर 2006)। यूनिट ने शुल्क के रियायती दर पर ₹ 5.74 करोड़ (2008-09) और ₹ 6.62 करोड़ (2009-10) मूल्य के सिट्रोनेल्लोल और सिट्रोनेल्लल मदों की डीटीए बिक्री की। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इन मदों के निर्यात का एफओबी मूल्य क्रमशः ₹ 2.23 करोड़, और ₹ 2.60 करोड़ था। तदनुसार, यूनिट संबंधित वर्षों में इन मदों के निर्यात के एफओबी मूल्य की क्रमशः 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक डीटीए बिक्री करने के लिए पात्र थी लेकिन उन्होंने 257 से 255 प्रतिशत तक निर्यात किया। डीटीए बिक्री को सीमित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 35.89 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

2.46 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों, महद डिविजन ने कहा (अगस्त 2011) कि सिट्रोनेल्लोल अल्कोहल ग्रुप से संबंधित है जबकि सिट्रोनेल्लल अल्डेहाइड्स ग्रुप से संबंधित है और चूंकि यूनिट समान प्रकृति के अल्कोहल और अल्डेहाइड्स का विनिर्माण कर रही थी, इसलिए एक ग्रुप के अंतर्गत डीटीए की निकासी की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि सिट्रोनेल्लोल जैसा उत्पाद उनके द्वारा विनिर्मित कई अल्कोहलों में से एक है जिसके लक्षण और उपयोग समान है और इसलिए इसे एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए और समान माल के रूप मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि अल्कोहलों के अंतर्गत डीटीए की बिक्री प्रतिशतता 49.66 थी और अल्डेहाइड्स के अंतर्गत 2007-08 से 2009-10 के दौरान डीटीए बिक्री की प्रतिशतता 88.20 प्रतिशत थी और वह निर्धारित मापदण्ड के अंदर थी।

2.47 विभाग के जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना है कि एलओपी ने विनिर्माण और निर्यात करने वाले उत्पादों को विनिर्दिष्ट किया था जबकि "सिट्रोनेल्लोल और सिट्रोनेल्लल" को पृथक उत्पादों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

लेखापरीक्षा एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत के अंदर डीटीए में इन समान रसायनों की निकासी पर नहीं बल्कि इस विशेष उत्पादों के निर्यात की एफओबी मूल्य की 75/90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक विशिष्ट रसायनों की अनुमति पर आपत्ति कर रही है। मंत्रालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

अध्याय III सीमा शुल्क का गलत निर्धारण

3.1 फरवरी 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2009 से जनवरी 2012) में हमने सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए जिसमें ₹ 6.11 करोड़ का राजस्व समाहित था। उनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

एयरपोर्ट कोलकाता के निर्धारण अधिकारी ने उन विमानों के टैंकों में बचे ईंधन पर लागू शुल्क नहीं लगाया जिन्होंने विदेशी दौरा पूरा होने के बाद घरेलू दौरा किया था।

3.2 एक पोत या विमान पर शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित किसी भी भंडार का उपभोग उस अवधि के दौरान वहाँ पर भंडार के रूप में कर लिया जाना चाहिए जब ऐसा पोत या विमान विदेश जाने वाला पोत या विमान हो (सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 87)। जब ऐसे पोत या विमान को विदेशी दौरे के बाद तटीय दौरे के लिए परिवर्तित किया जाता है, तो उपरोक्त धारा 87 का प्रावधान लागू नहीं होता और घरेलू दौरे पर उस भंडार पर सीमाशुल्क लगता है।

3.3 सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 2710 19 30, के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हाई स्पीड डीज़ल आयल (एचएसडी) पर बीसीडी और अन्य शुल्कों के अलावा वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के अनुसार ₹ 2 प्रति लीटर की दर से सीमाशुल्क का अतिरिक्त प्रभार (1 मार्च 2005 से) लगता है। दिनांक 1 मार्च 2006 की यथा संशोधित अधिसूचना सं 4/2006-के.उ.शु. ₹ 2.60 प्रति लीटर की दर से तथा यदि एचएसडी की बिक्री बिना किसी ब्रांड नाम के की जानी हो (क्रम सं. 19 (i) और अन्यथा ₹ 3.75 प्रति लीटर की दर से सीवीडी लगाने का प्रावधान करती है (27 फरवरी 2010 से), (क्रम सं. 19 (ii)।

3.4 इसके अतिरिक्त, दिनांक 13 जुलाई 1994 की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 151/1994-सी.शु.- सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के टैंकों में ईंधन और लुबरिकेटिंग तेल जो की उसी प्रकार के ईंधन की बराबर मात्रा भारत से बाहर ले गए हो, अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क से छूट का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करता है:-

- (क) भारत से बाहर ले जाए गए ईंधन पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया था;
- (ख) विमान के आगमन और प्रस्थान के समय ईंधन पर अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क की दर वही रही है;
- (ग) प्रस्थान के समय ऐसे ईंधन पर सीमाशुल्क पर कोई फिरती या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट की अनुमति नहीं दी गई थी।

3.5 कोलकाता हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करते समय मै. एनएसीआईएल (इंडियन एयरलाइन्स) ने विमान के ईंधन टैंक में दत्त शुल्क पड़े भंडार

के अलावा मै. आईओसीएल और अन्य तेल कम्पनियों से शुल्क के भुगतान के बिना एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) लिया। इसी प्रकार, वापसी यात्रा में, एयरलाइन ने नियमित रूप से बैंकाक, यंगून और काठमाण्डू में एटीएफ लिया। कोलकाता एयरपोर्ट पर इन फ्लाइटों के विदेशी दौरे की समाप्ति पर वे घरेलू फ्लाइटों में परिवर्तित हो गई थीं। तथापि, कोलकाता एयरपोर्ट पर सीमाशुल्क प्राधिकारी ने अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट को घरेलू फ्लाइट में परिवर्तित होने के समय विमान में बचे आयातित एटीएफ पर शुल्क नहीं लगाया, और एयरलाइन ने भी उस पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप 3375.779 किलोलीटर के एटीएफ के आयात पर जनवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान ₹ 1.24 करोड़ का शुल्क नहीं लगाया गया।

3.6 आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता प्राधिकारियों ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए समय बताया (जून 2012) कि जनवरी 2009 से दिसम्बर 2011 की अवधि के लिए ₹ 2.93 करोड़ के शुल्क के लिए एयरलाइन को मांग ज्ञापन जारी कर दिया गया था (फरवरी 2012)। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी कोलकाता (पोर्ट) ने हाई स्पीड डीज़ल पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जिसके कारण ₹ 7.77 लाख का शुल्क कम लगा।

3.7 मै. जे.एम. बक्शी एण्ड क. कोलकाता और नौ अन्यो ने उनके विदेशी दौरे से तटीय दौरे में परिवर्तित होने पर एचएसडी सहित आयातित शिप भंडार पर शुल्क के भुगतान के लिए कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय में 21 बिल आफ एंट्री (बीईज) (नवम्बर 2009 और फरवरी 2011 के बीच) दर्ज किए। इन बीईज के निर्धारण के समय, निर्धारण अधिकारी ने आयातित एचएसडी पर ₹ 2 प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया। इसके अलावा, 21 में से 19 मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा सीवीडी अधिसूचना सं. 4/2006- के.उ.श. की क्रम सं.19 (i) के अनुसार ₹ 2.60 प्रति लीटर की दर से लगाई गई थी। चूंकि तटीय दौरे के दौरान उपयोग किया गया आयातित एचएसडी "एक ब्रांड नाम के बिना बिक्री हेतु नियत"के विवरण का आशय पूरा नहीं करता यह उक्त अधिसूचना की क्रम सं. 19 (i) के अन्तर्गत कवर नहीं होता और उस पर ₹ 3.75 प्रति लीटर की दर से सीवीडी लगेगी। उपरोक्त दोनों मामलों में गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.77 लाख का कम शुल्क लगा।

3.8 आयुक्तालय अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2012) कि प्रथम दृष्टया लेखापरीक्षा आपत्ति सही प्रतीत होती है और संबंधित बिल आफ एंट्री को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना में ऐसा शुल्क लगाने का प्रावधान होने के बावजूद अन्तिम रूप देते समय आयात पर ₹ 3.41 करोड़ का एंटी डंपिंग शुल्क नहीं लगाया।

3.9 सीमाशुल्क टैरिफ के नियम 13 और 20 (2) (ए) (पहचान, निर्धारण और डम्पड वस्तुओं पर एंटी डिंपिंग शुल्क का संग्रहण और नुकसान का निर्धारण) नियम 1995

(एडीडी नियम) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहाँ अनंतिम शुल्क लगाया गया हो और नामित प्राधिकारी ने नुकसान का अन्तिम निष्कर्ष रिकार्ड कर लिया हो, अनंतिम शुल्क लगाने की तिथि से एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) लगाया जाएगा।

3.10 सीटीएच 28353100 के अन्तर्गत आने वाले "सोडियम ट्राइपोली फोस्टेट (एसटीपीपी), पीपल्स रिपब्लिक आफ चायना (चीन पीआर) में उत्पादित अथवा से निर्यातित या भारत में आयातित पर दिनांक 21 सितम्बर 2010 की अधिसूचना सं. 96/2010-सी.शु. के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर अनंतिम एंटी डम्पिंग शुल्क लगती है। तदनन्तर, नामित प्राधिकारी के अन्तिम निष्कर्षों पर आधारित, दिनांक 8 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 58/2011-सी.शु. द्वारा ऐसे आयातों पर निश्चित एडीडी अनंतिम एडीडी लगाए जाने की तिथि से पूर्व के साथ जोकि 21 सितम्बर 2010 तक लगाई जाती थी।

3.11 मै. अरडोर इन्टरनेशनल प्रा. लि. और अन्य तीन ने " सोडियम ट्रिपोली फासफेट (एसटीपीसी) (1369 एम.टी.) के 11 परेषण चीन से (अप्रैल/जून 2011) में जेएनसीएच के आयुक्तालय, मुंबई के माध्यम से आयात किये। तथापि, इन आयातों पर केवल मार्च 2011 तक प्रभावी मानी जाने वाली अन्तिम अधिसूचना सं.96/2010 के तहत एन्टी डम्पिंग शुल्क नहीं लगाया। हमने पाया कि अधिसूचना 58/2011-सी.शु. के तहत अन्तिम एडीडी शुल्क लगने पर, उपर्युक्त आयात अन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 21 सितम्बर 2010 से निर्धारित दर पर एडीडी के लिए पूर्वतारीख से दायी है। तदनुसार, ये आयत कुल ₹ 3.41 करोड़ के एडीडी के लिए दायी थे। ये राशि आयातकों से वसूल की जानी थी।

3.12 सीमाशुल्क आयुक्त (निर्यात), जेएनसीएच प्राधिकारियों ने रिपोर्ट किया (जुलाई 2012) कि चार आयातकों को कम प्रभार मांग ज्ञापन जारी किए गए हैं। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

3.13 सीटीएच 39021000 के अधीन आने वाला, ओमान, सउदी अरब और सिंगापुर में उत्पादित या से आयातित "पोलीप्रापीलीन" पर अधिसूचना संख्या 82/2009-सी.शु. दिनांक 30 जुलाई 2009 के तहत निर्धारित दरों पर अनन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगता है। तत्पश्चात् पदनामित प्राधिकारी द्वारा निकाले गये अन्तिम निष्कर्ष के आधार पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना सं. 119/2010 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव, अनन्तिम एडीडी लगने की तारीख अर्थात् 30 जुलाई 2009 से ऐसे आयातों पर निश्चित एडीडी लगाया गया।

3.14 जेएनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के माध्यम से मै. सुप्रीम इण्डस्ट्रीज़ लि. और 11 अन्य ने "पोलीप्रापलीन" के 38 परेषण आयात किये (फरवरी से नवम्बर 2010)। इन 38 परेषणों में से 33 परेषण मै. ओमान पोलीप्रापलीन एलएलसी, ओमान द्वारा आपूर्त किये गये थे और पांच परेषण सिंगापुर से आयात किये गये थे। निर्धारण अधिकारी ने इन आयातों पर अनन्तिम अधिसूचना सं.82/2009 के तहत अन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क नहीं

लगाया क्योंकि उस समय एन्टी डम्पिंग शुल्क "शून्य" माना गया। हमने पाया कि अधिसूचना सं. 119/2010-सी.शु. दिनांक 19 नवम्बर 2010 के तहत अन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाने के बाद उपर्युक्त आयात अनन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 30 जुलाई 2009 से पूर्वव्यापी तारीख से एन्टी डम्पिंग शुल्क के लिए दायी थे। तदनुसार इन आयातों पर ₹ 75.18 लाख की राशि की एडीडी उगाही योग्य हुई। ये राशि आयातकों से वसूलीयोग्य थी।

3.15 33 परेषणों (8 आयातकों) के संबंध में सीमाशुल्क आयुक्त और जेएनसीएच प्राधिकारियों ने बताया (मार्च 2012) कि मै. ओमान पोलीप्रापलीन एलएलसी पदनमित प्राधिकारी द्वारा एडीडी जांच के लिए सम्बद्ध पार्टी थी और एडीडी की "शून्य" दर के लिए दायी है। विभाग ने आगे बताया कि अधिसूचना सं.119/2010 के द्वारा एडीडी दर यूएसडी "शून्य" से ₹ 67.68 पीएमटी पूर्वव्यापी तारीख से बढ़ाई गई थी और सीमाशुल्क टैरिफ (एडीडी) नियम, 1995 के नियम 21 के प्रावधानों के मद्देनजर संग्रहीत नहीं किये जा सकते। उसमें यह निर्धारित था कि यदि पदनामित प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया एडीडी लगाये गये और संग्रहीत अनन्तिम शुल्क से अधिक है तो विभेदक शुल्क आयातक से नहीं लिया जायेगा।

3.16 आयुक्तालय के प्राधिकारियों का उत्तर इस तथ्य में देखा जाना चाहिए कि संदर्भित 33 परेषणों पर कोई अनन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क न तो लगाया गया और न ही संग्रहीत किया गया, तदनुसार नियम 21 लागू नहीं होगा और नवम्बर 2010 की अन्तिम अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों पर एडीडी लगाया एवं संग्रहीत किया जाना है।

3.17 तथापि, बाकी पांच परेषणों के संबंध में आयुक्तालय प्राधिकारियों ने नाटकीय ढंग से अलग दृष्टिकोण अपनाया और चार परेषणों के संबंध में पांच आयातकों से ₹ 19.83 लाख की वसूली बताई (जून/अगस्त 2012)। उन्होंने एक परेषण के लिए (मै. श्रेयास इण्डिया प्रा.लि.) को कम प्रभार मांग ज्ञापन भी जारी किया।

3.18 मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि नियम 21 "टैरिफ तथा व्यापार 1994 के सामान्य करार के अनुच्छेद VI के अनुपालन के करार" के अनुच्छेद 10.3 पर आधारित है। मंत्रालय ने आगे बताया कि "शून्य" एन्टी डम्पिंग ड्युटी (एडीडी) अधिसूचना सं. 82/2009 के तहत उद्ग्रहित किया गया था जबकि प्रति मी.ट. यूएस \$ 67.68 की दर से अन्तिम एडीडी अधिसूचना सं. 119/2010 के तहत लगाई गई थी, अतः उसकी वसूली नहीं की जा सकती।

मंत्रालय के उत्तर की जांच इस तथ्य के संदर्भ में की जानी चाहिए कि अधिसूचना सं. 119/2010 विशेष रूप से अधिसूचना सं. 82/2009 के तहत अंतरिम एडीडी लगाने की तिथि से यूएस \$ 67.68 की दर से एडीडी उद्ग्रहित करने का प्रावधान प्रदान करती है तथा जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI ऐसे उद्ग्रहण की मनाही नहीं करता। मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि अन्तिम एडीडी का संग्रहण नहीं किया जा सकता तो, अधिसूचना सं. 119/2010 के प्रावधान कैसे लागू किए जायेंगे।

निर्धारण अधिकारी ने एन्टी डम्पिंग शुल्क को लगाये बिना आयातों की निकासी की।

3.19 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार जहां कोई वस्तु उसके सामान्य मूल्य से कम पर किसी देश से आयात की जाती है तो ऐसे वस्तु के भारत में आयात के बाद, केन्द्र सरकार को अधिसूचना के द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क लगा सकती है। तदनुसार समय-समय पर "पोलीटेटरा फ्लोरोथाइलीन (पीटीएफई) और पोलीप्रापलीन जैसे माल पर एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाया जाता है जब वे विनिर्दिष्ट देशों जैसे चीन, ओमान, शिंगापुर से आयात किये जाते हैं।

3.20 हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने वै. जनेक्सट फ्लोरोथोलीमर्स और अन्य छः द्वारा इन निर्दिष्ट देशों से आयातित ऐसे माल के छः परेषणों को ₹ 27.57 लाख की उगाही योग्य एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाये बिना निकासी की।

3.21 सीमाशुल्क आयुक्त (आयात), जेएनसीएच, मुम्बई प्राधिकारियों ने कम उगाही स्वीकार की और दो आयातकों (मै. जनेक्सट फ्लोरोपोलीमर्स एण्ड मै. गाबा ओवरसीज़ प्रा.लि.) से ₹ 24.45 लाख की वसूली की सूचना दी बाकी पांच आयातकों को मांग ज्ञापन जारी किये।

3.22 मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी/फरवरी 2013) कि बाकी शुल्क तथा ब्याज की वसूली के प्रयास किए गए थे।

कोलकाता आयुक्तालय गोदामों में तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों के लिए लागत शुल्क की वसूली करने में असफल रहा।

3.23 गोदाम में निर्माण और अन्य कार्यों के अधिनियम 1966 के नियम 4(v) के अनुसार माल गोदामों का कोई भी मालिक गोदामों में विनिर्माण के नियंत्रण और अन्य कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए तैनात सीमाशुल्क कर्मचारी की लागत वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के पत्र सं एफ.एन.ए-11018/9/91/-एडी (iv) दिनांक 1 अप्रैल 1991 के अनुसार इस संदर्भ में सृजित पदों की लागत की वसूली डीए, सीसीए आदि की मासिक औसत लागत से 1.85 गुणा अधिक के आधार पर निर्धारित की जानी है।

3.24 मै. भारती शिपयार्ड लि., मै. एयर इंडिया लि. तथा मै. एयर इंडिया चार्टरर्स लि. ने कोलकाता में अपने बॉडेड गोदामों में सीमाशुल्क पर्यवेक्षण कार्य निष्पादित करने के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों की सेवा प्राप्त की थी। यद्यपि अधिकारियों के लिए वसूली लागत की दरें 1 जनवरी 2006 से प्रभावी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण अगस्त 2008 से बढ़ा दी गई थी, विभाग ने अगस्त 2008 के बाद भी अपने अधिकारियों द्वारा इन पक्षों को प्रदान की गई सेवा के लिए पर्यवेक्षण शुल्क की पुरानी दरों से वसूली की। इस प्रकार मै. एयर इंडिया लिमिटेड से 1 जनवरी 2006 से प्रभावी बढ़ी लागत पर पर बकाया शुल्क की वसूली न होने से जनवरी 2006 से जून 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 10 लाख पर्यवेक्षण शुल्क की राशि की वसूली कम हुई।

3.25 कोलकाता आयुक्तालय के आयात बॉन्ड विभाग प्राधिकरण ने बताया कि इन शुल्कों की गणना आयुक्तालय के लेखा विभाग द्वारा की गई थी और तदनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष उनके (लेखा विभाग) से सत्यापित किया जा रहा है। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने निर्यात पर शिक्षा उप कर की उगाही की।

3.26 9 जुलाई 2004 से लागू दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर वित्तीय अधिनियम 2004 की धाराओं 91, 92 तथा 94 के अनुसार और 1 मार्च 2007 से लागू एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर वित्तीय अधिनियम, 2007 की धारा 136, 137 तथा 139 की धाराओं के अनुसार लगाया गया, दोनों सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट माल पर जब भारत में आयात किए गए उगाही होने योग्य है। निर्यात हेतु माल सीमाशुल्क दरों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है और इस प्रकार ये शुल्क के रूप में उगाही योग्य नहीं है।

3.27 वित्त मंत्रालय ने अपने अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन में पाराद्वीप बन्दरगाह (2009-10 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैरा 3.9) से निर्यातों पर अनुचित उगाही तथा ऐसे उपकर को लगाने तथा उसके संग्रहण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष में निर्यातों पर अनुचित उगाही तथा ऐसे उपकर को लगाने तथा उसके संग्रहण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया था और यह भी बताया कि, संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रतिदायों दावों के भरे जाने पर निर्णय अधिनियम 1962 सीमाशुल्क की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार होगा और यदि प्रतिदाय की मंजूरी दी गई, तो प्रतिदाय की राशि कुल संग्रहित राजस्व से घटा दी जाएगी। मंत्रालय की एटीएन के बावजूद उगाही जैसा नीचे बताया गया, जारी है:-

3.28 हमने देखा कि कस्टम हाउस पाराद्वीप में निर्धारण अधिकारियों ने भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय के अंतर्गत महादीपुर तथा हिली कस्टम लेन्ड स्टेशन और प.बंगाल (निरोधी) के अंतर्गत मालदा कस्टम प्रभाग में शिक्षा उपकर, एवं उच्च शिक्षा उप कर न केवल आयात पर एकत्र किया, बल्कि निर्यातों पर भी एकत्र किया, यद्यपि निर्यात माल कस्टम टैरिफ को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, और इसलिए ऐसी उगाहियां नहीं होनी थी। फरवरी 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के दौरान निर्यात माल पर ₹ 25.32 लाख की राशि की उपकर की गलत उगाही हुई।

3.29 कोलकाता के सीमाशुल्क आयुक्त (निरोधात्मक) ने निर्यात माल पर शिक्षा उपकर की असावधानीवश उगाही स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2011/जुलाई 2012) कि आगे से वित्तीय अधिनियम, के अनुसार प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि विभाग ने तर्क दिया कि निर्यातकों ने ऐसे उपकर का स्वेच्छा से भुगतान किया था तथा उनमें से किसी ने भी ऐसी उगाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं जताई अथवा उगाही के लिए न ही प्रतिदाय का दावा किया। प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रतिदाय की कोई संभावना नहीं थी। (क्योंकि यह पहले से ही समयबाधित था) और सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

3.30 मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम बंगाल कोलकाता की बात को दोहराया।

3.31 लेखापरीक्षा इस बात पर कायम है कि सभी निर्यातकों/आयातकों को आईसीईएस/आरएमएस प्रदान की जाने तथा पश्च लेखापरीक्षा उपायों को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

अध्याय IV

सामान्य छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू करना

4.1 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार को ऐसे किसी विवरण वाले माल से पूरे अथवा उस पर लगने वाले सीमा शुल्क के किसी भाग की, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थितियों के अनुसार पूरा या परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का अधिकार है। अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 की समयावधि के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2011 से जून 2012) में देखी गई छूट की गलत मंजूरी के कारण औसतन ₹ 2.85 करोड़ की गैर-उगाही/शुल्कों की कम उगाही के कुछ निदर्शी मामलों की निम्न पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने टेक्सटाइल सामान और कढ़ाई के कपड़े को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से गलत छूट दी।

4.2 8 अप्रैल 2011 से लागू वित्त अधिनियम, 2011 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व वाला माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारे माल उपरोक्त अधिनियम के दायरे से हटा दिये गये थे। परिणास्वरूप, वह माल जिसे दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना स.20/2006-सीशु. की क्रम सं. 50 के अंतर्गत सीमा शुल्क के विशिष्ट अतिरिक्त कर की उगाही से छूट प्रदान की गई थी दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 19/2006 सीशु. शर्तों के अनुसार उस पर चार प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।

4.3 मैं. एआरसी इन्टप्राइज और अन्य कुछ ने "टैक्सटाइल कपड़े/नायलॉन टायर कॉर्ड कपड़े" की कई खेपें चैन्नई (समुन्द्र/वायु) और तूतीकोरन बंदरगाह से आयातित की (अप्रैल से नवंबर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 50 से 60 के अन्तर्गत आयातित मर्दों को वर्गीकृत किया और पूर्वोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 50 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क से गलत छूट प्रदान कर दी हांलाकि वे अप्रैल 2011 की पूर्वोक्त पहली अनुसूची से हटा दिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.33 करोड़ शुल्क (चेन्नै-समुद्र/वायु आयुक्तालय-₹1.20 करोड़ और तूतीकोरेन आयुक्तालय-₹ 1.13 करोड़) की कम उगाही हुई।

4.4 तूतीकोरन और चैन्नई (समुन्द्री/ हवा) आयुक्तालयों ने क्रमशः ₹ 82.63 लाख और ₹ 28.25 लाख जिनमें क्रमशः ₹ 8.79 लाख और ₹ 2.79 लाख का ब्याज शामिल था, की वसूली की सूचना (नवम्बर 2011 से अप्रैल 2012) दी। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने पीवीसी कोटेड कपड़ों/परिष्कृत कढ़ाई वाले कपड़ों, जैक्वार्ड कर्टन कपड़ों को छूट प्रदान की।

4.5 मैं. अंबिका इंपैक्स और 96 अन्य ₹ 8.32 करोड़ के मूल्य "पीवीसी कोटेड कपड़ों/परिष्कृत कढ़ाई वाले कपड़ों, जैक्वार्ड कर्टन कपड़ों" आदि को मुंबई एयर कार्गो कांफ्लैक्स, मुंबई, न्यू कस्टमज हाउस, और मुंबई आईसीडी आयुक्तालय के माध्यम से

अप्रैल से नवंबर 2011 के दौरान 214 खेपों में आयात किया। ये माल एईडी (जीएसआई) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीटीएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

4.6 आईसीईएस के डंप आंकड़ों की संवीक्षा से हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 20/2006-सीशु की क्रम सं. 50 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट गलती से प्रदान कर दी हालांकि ये मद अप्रैल 2011 से पूर्वोक्त पहली अनुसूची से हटा दिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.61 लाख अतिरिक्त शुल्क की उगाही नहीं हो सकी।

4.7 मंत्रालय ने पांच आयातकों (मै. पदावती टैक्सटाइल्स, मै. डी. डैकोर एक्सपोर्ट्स, मै. पिज्जा इम्पैक्स, मै. जोडेएक क्लार्थिंग कं. लि. तथा मै. प्लास्टिक कॉटेज ट्रेडिंग कं.) से ₹ 19.24 लाख की वसूली की सूचना दी (दिसम्बर 2012)।

निर्धारण अधिकारी ने पीवीसी कोटेड कपड़े को केवल सूती माल समझकर छूट प्रदान की।

4.8 दिनांक 09 जुलाई 2004 की अधिसूचना स.29/2004-केउ (यथा संशोधित) के अनुसार, सूत का सारा माल जिसमें अन्य कोई टैक्सटाइल सामग्री शामिल नहीं होती, वह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्यायों 56/59 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, 5 प्रतिशत की रियायती दर पर प्रतिकारी शुल्क के लिए निर्धारणीय है।

4.9 डंप आंकड़ों की जांच से हमने पाया कि मै. पदमिनी इंडस्ट्रिज़ लिमि. और दस अन्यो ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से पीवीसी कोटेड कपड़े, कृत्रिम रेशे, पालीएस्टर की बैड शीट की 15 खेपें आयात की (अप्रैल से नवंबर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने आयातित माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्यायों 56/59 के अंतर्गत वर्गीकृत किया और उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर सीवीडी की उगाही की। चूंकि आयातित माल 100 प्रतिशत सूत से बना हुआ नहीं था, वह अधिसूचना लाभ के योग्य नहीं था और 10 प्रतिशत की दर से सीवीडी हेतु उदग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.40 लाख के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ।

4.10 मंत्रालय ने 11 प्रेषणों में ₹ 0.47 लाख के ब्याज तथा ₹ 3.32 लाख की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2013)। शेष चार परेषणों में अधिनिर्णयन की प्रक्रिया चल रही हैं।

अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

5.1 जनवरी 2010 से नवम्बर 2011 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2010 से अप्रैल 2012) के दौरान हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया था जिसके कारण ₹ 2.04 करोड़ का सीमा शुल्क कम/नहीं लगा था। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने फ्लैंग्स को पवन चालित विद्युत जनरेटरों के कलपुर्जों के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.2 जैसा कि धारा XV के नोट 2(ए) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, कस्टम टैरिफ की धारा XVI का नोट 1(जी) "सामान्य उपयोग के कलपुर्जों" को सम्मिलित नहीं करता। तदनुसार, कस्टम टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 7307,7312,7315,7317 अथवा 7318 की वस्तुएँ एवं आधार धातु की समान वस्तुएँ धारा के तहत कवर नहीं होती। स्टील के बने "फ्लैंग्स", कस्टम टैरिफ के सीटीएच 7307 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य हैं एवं 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने योग्य हैं।

5.3 मैसर्ज गमेसा विंड टर्बाईन्स प्रा. लिमिटेड एवं चार अन्यो ने चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "फ्लैंग्स" की 28 खेपें आयात की (जनवरी से मई 2010 एवं अप्रैल से नवम्बर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने आयातित माल को कस्टम टैरिफ के सीटीएच 85030010/85030090 के अन्तर्गत पवन चालित विद्युत जेनरेटरों के कलपुर्जों के रूप में वर्गीकृत किया एवं 7.5 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार "फ्लैंग्स" "सामान्य उपयोग के कलपुर्जों" की श्रेणी में आते हैं एवं सीटीएच 73072100 के तहत वर्गीकरण के योग्य हैं तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाने योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 72 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

5.4 उपायुक्त सीमाशुल्क (बंदरगाह), चेन्नै ने ₹ 53.07 लाख के कर प्रभाव वाले जुलाई 2010 में जारी निष्कर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार नहीं किया एवं आयातकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हुए कहा (दिसम्बर 2010) कि सीटीएच 7307 21 00 केवल सामान्य उपयोग की वस्तुओं को कवर करता है एवं विशेष उपयोग की वस्तुएं जैसे कि आयातित "फ्लैंग्स" को नहीं। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने आगे कहा कि फ्लैंग्स पवनचक्कियों के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये जाते हैं एवं वे पवनचक्कियों के टावर का एक अभिन्न अंग हैं। चूँकि टावर पवनचक्कियों का एक हिस्सा हैं, इसी प्रकार, फ्लैंग्स भी टावरों का एक हिस्सा हैं।

5.5 आयुक्तालय प्राधिकारियों के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि मैसर्ज जी.बी. इंजिनियरिंग इंटरप्राइसेस प्रा. लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीशनरी, त्रिची {2010 (251) ईएलटी, 298 (प्राधिकारण) चेन्नै}, के मामले में प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि "पवनचक्की" टावर लौह अथवा इस्पात की सामान्य

वस्तुओं के रूप में विशेषकर सीटीएच 7308 के तहत वर्गीकरणीय हैं। समान विचारधारा के अनुसार, फलैंग्स विशेष रूप से सीटीएच 730791 के तहत कवर किये गए सामान्य उपयोग की वस्तुएँ हैं।

5.6 इसके अतिरिक्त, अपने ही कथन के विपरीत, उपायुक्त सीमाशुल्क, चेन्नै ने ₹ 18.93 लाख के राजस्व प्रभाव के साथ फरवरी 2012 में इंगित किये गए समान निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं परिणामस्वरूप आयातकों को कारण बताओं ज्ञापन जारी किये थे। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने प्रोजेक्टर को स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले मद के रूप में गलत वर्गीकरण किया ।

5.7 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन (एडीपीएम) के साथ-साथ टेलिविजन एवं विडियो के साथ कार्य कर सकने योग्य " प्रोजेक्टर" सीटीएच 8528 69 00 के तहत बीसीडी के लिए 10 प्रतिशत की दर पर निर्धारण के लिए वर्गीकरण योग्य हैं । केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ने परिपत्र संख्या 33/2007-कस दिनांक 10 सितम्बर 2007 में निर्धारण के उद्देश्य से अन्तर करने के लिए कम्प्यूटर मानीटर एवं टीवी/विडियो के साथ प्रयोग होने वाले दूसरी तरह के मानीटरों की तकनीकी विशेषताओं के विषय में स्पष्टीकरण जारी किये थे। जो कि प्रोजेक्टरों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

5.8 मैसर्ज इप्सन इंडिया लिमिटेड एवं मैसर्ज एस्सार इण्डिया लिमिटेड ने चेन्नै (वायु) आयुक्तालय द्वारा प्रोजेक्टरों के विभिन्न माडलों की 11 खेपें आयात (मार्च से जुलाई 2011) की थीं। निर्धारण अधिकारी ने उन माडलों को मुख्य रूप से स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ प्रयोग होने वाले मानते हुए आयातित माल को सीटीएच 8528 61 00 के तहत वर्गीकृत किया एवं सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 (क्रम सं. 17) दिनांक 1 मार्च 2005 के अन्तर्गत शून्य दर पर बीसीडी लगाई।

5.9 उन माडलों की वेबसाईट पर उपलब्ध तकनीकी विशेषताओं ने इंगित किया कि वे स्वचालित प्रोसेसिंग प्रणाली के साथ टेलीविजन/विडियो के साथ प्रयोग की जा सकती हैं, टैरिफ मद 85286900 के तहत 10 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क के लिए वर्गीकरण योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप ₹ 54.80 लाख के शुल्क का कम संग्रह हुआ।

5.10 सीमाशुल्क उपायुक्त (हवाईअड्डा), चेन्नै ने मैसर्ज एस्सार इण्डिया लिमिटेड के संबंध में ₹ 14.34 लाख की माँग की पुष्टि की (फरवरी/अप्रैल 2012)। तथापि, मैसर्ज एस्पन इण्डिया लिमिटेड के संबंध में ₹ 40.46 लाख के प्रभाव वाले शुल्क के लिए उत्तर प्रतिक्रिया था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने पशु चारे को मानव उपयोग के लिए अनुप्युक्त मत्स्य भोजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया ।

5.11 "पशु चारे के लिए प्रयोग होने वाला एक प्रकार का सम्पाक" सीटीएच 2309 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य है एवं 30 प्रतिशत की दर से बीसीडी एवं शून्य दर पर सीवीडी लगाने योग्य है। अध्याय 23 में उपलब्ध व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार, जो अध्याय में

और कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं, सीटीएच 2309 पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार के उत्पाद को समाहित करता है, जो उस सीमा तक वनस्पति अथवा पशुसामग्री पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती हैं जहाँ तक उन्होंने मूल सामग्री की अनिवार्य विशेषताएं खो दी हैं।

5.12 इसके अतिरिक्त, सीटीएच 2301 के अन्तर्गत नामावली टिप्पणी की संगत प्रणाली (एचएसएन) में प्रावधान है कि यह शीर्षक संपूर्ण पशु अथवा पशु उत्पाद पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पादों को कवर करता है।

5.13 मैसर्ज अवन्ति फीड लिमिटेड ने चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से "स्कीड लीवर पाउडर" की नौ खेपें आयात की थीं। (फरवरी से सितम्बर 2011) निर्धारण अधिकारी ने इस माल को सीटीएच 23012090 के अन्तर्गत "मानव प्रयोग के लिए अनुपयुक्त अन्य मत्स्य भोजन" के रूप में वर्गीकृत किया एवं अधिसूचना 21/2002 (क्रम सं. 53) के तहत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगाया। लेखापरीक्षा ने आपूर्तिकर्ताओं की वेबसाइट(एचटीटीपी://मिलाम्ल.कॉम/प्रोडक्ट्स/) से देखा कि स्कीड लीवर पाउडर में या तो 50 प्रतिशत स्कीड लीवर पेस्ट एवं 50 प्रतिशत अच्छी तरह फाईन किया सोयाबीन मील अथवा शुद्ध स्कीड लीवर पेस्ट एवं 40 प्रतिशत सोयाबीन मील के साथ 60 प्रतिशत तेल होता है। सोयाबीन मील तथा स्कीड लीवर पेस्ट का मिश्रण होने के नाते आयातित मद सीटीएच 2301 के स्थान पर सीटीएच 2309 के अन्तर्गत वर्गीकरण के योग्य थी एवं भारत 5 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाने योग्य थी। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 52.53 लाख का शुल्क कम लगा।

5.14 मंत्रालय ने लगाए गए कम शुल्क पर अधिनिर्णयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की सूचना दी (दिसम्बर 2012)।

निर्धारण अधिकारी ने खाद्य/दैनिक आहार पूरक को आयुर्वेद प्रणाली की औषधियों के रूप में गलत वर्गीकृत किया।

5.15 विविध खाद्य पदार्थ सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 21 के तहत कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थ कहीं भी विशिष्ट रूप से वर्णित या शामिल नहीं हैं, सीटीएच 2106 के तहत वर्गीकृत किए जाने हैं और 35 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के बाद आरएसपी के 10 प्रतिशत दर पर सीवीडी और तीस प्रतिशत दर पर बीसीडी निर्धारण योग्य हैं। अध्याय 30 के नोट 1(ए) के अनुसार अध्याय खाद्य पूरकों को कवर नहीं करता। इसके अतिरिक्त, दैनिक आहार/खाद्य पूरक दैनिक आहार को पूरा करने और पोषण देने के उद्देश्य से तैयार किए गए पदार्थ हैं।

5.16 मै. डेक्सन एग्रीटेक (भारत) प्रा. लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 1200 किलोग्राम "रेशी गैनो पाउडर" और 2000 किलोग्राम "गेनोसेलियम पाउडर" का आयात किया। निर्धारण अधिकारी ने सीटीएच 30039011 के तहत आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण "आयुर्वेद प्रणाली की औषधियां" के रूप में किया और बीसीडी/सीवीडी का क्रमशः 5/10 की दर पर उद्ग्रहण किया था। आयातित वस्तुएँ वास्तव में खाद्य/दैनिक आहार थी जो सीटीएच 21069099 के तहत "अन्य तैयार खाद्य

जिन्हें कहीं अन्य जगह वर्णित नहीं किया गया " के रूप में वर्गीकृत किया जाना होता है जिनपर क्रमशः 30/10 प्रतिशत की दर से बीसीडी/सीवीडी लगती है। इस प्रकार आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 24.49 लाख के कम शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

5.17 मंत्रालय ने सूचना दी कि वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया जा चुका है (फरवरी 2013)।

नई दिल्ली
दिनांक

(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

अनुबंध-I
(पैराग्राफ 1.75 देखें)

(राशि लाख ₹ में)

	ड्राफ्ट ऑडिट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	बी1	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.85	7.85	8.80	आईसीडी, तुगलकाबाद, न्यू कस्टम्स हाउस, नई दिल्ली
2	बी2	दिल्ली	ओपल ग्लास वेयर पर एन्टी डम्पिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.91	8.91	10.09	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
3	बी3	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	21.90	21.90	113.10	एनसीएच, आईजीआई, एअरपोर्ट, नई दिल्ली
4	बी4	आंध्र प्रदेश	एसएडी छूट का अनियमित लाभ उठाना	12.88	12.88	13.67	हैरदाबाद-II
5	बी5	आंध्र प्रदेश	छूट की गलत मंजूरी के कारण कम उद्ग्रहण	26.39	26.39	26.39	कस्टम्स हाउस, विशाखापत्तनम
6	बी6	मुंबई	एन्टी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	7.61	7.61	7.70	जेएनसीएच, मुंबई
7	बी7	अहमदाबाद	एन्टी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	21.97	21.97	24.71	कांडला कट्म्स
8	बी8	आंध्र प्रदेश	निर्यात दायित्व की पूर्ति न होना	33.21	33.21	33.21	जेडीजीएफटी, विशाखापत्तनम
9	बी9	कोच्ची	अनुचित छूट की मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	89.27	89.27	93.75	कस्टम्स हाउस, कोच्ची
10	बी10	चेन्नै	कार्बन ब्लैक के आयात पर एन्टी डम्पिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.73	9.73	9.73	आईसीडी, तूतीकोरन
11	बी11	चेन्नै	वीकेजीयूवाई योजना के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट की अनियमित मंजूरी	12.49	12.49	11.84	जेडीजीएफटी, चेन्नै
12	बी12	चेन्नै	आटोमोबाईल के लिए इस्पात सामान के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.36	8.36	7.44	चेन्नै (समुद्र)
13	बी13	मुंबई	छूट की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.58	8.58	10.63	जेएनसीएच, मुंबई
14	बी14	मुंबई	ईओयू के डिबॉडिंग के समय पूंजीगत माल पर शुल्क का अनुद्ग्रहण	7.51	7.51	10.34	पुणे-II
15	बी15	कोच्ची	भारत योजना (एसएफआईएस) स्क्रिप से सेवा में अनुचित क्रेडिट	67.89	67.89	86.51	जेडीजीएफटी, कोच्ची
16	बी16	बैंगलोर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.71	14.71	14.80	बैंगलोर आयुक्तालय
17	बी17	बैंगलोर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.79	7.79	7.05	बैंगलोर (वायू)
18	बी18	चेन्नै	सूती धागे के निर्यात पर डीईपीबी क्रेडिट की अनियमित मंजूरी	14.88	14.88	18.01	जेडीजीएफटी, मदुरै
19	बी19	चेन्नै	बेरियम कार्बोनेट के आयात पर एन्टी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	32.67	32.67		चेन्नै (समुद्र)

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

20	बी20	चेन्नै	छूट अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति न होना जिसके लिए शुल्क लगना था	35.18	35.18	12.61	एलटीयू चेन्नै
21	बी21	मुम्बई	शुल्क की गलत दर लागू किया जाना	8.13	8.13	4.28	जेएनसीएच, मुम्बई
22	बी22	बैंगलोर	अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व की पूर्ति न होना	17.04	17.04	29.78	जेडीजीएफटी, बैंगलोर
23	बी23	चेन्नै	ग्लास फाइबर और उनके सामान पर एन्टी डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	15.98	15.98	15.77	चेन्नै (समुद्र)
24	बी24	चेन्नै	स्कू कन्वेंयर्स के गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	24.98	24.98	24.98	चेन्नै (समुद्र)
25	बी26	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.64	20.64	22.02	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
26	बी27	आंध्र प्रदेश	कम संग्रहीत शुल्क राशि पर ब्याज का संग्रहण न होना	14.89	14.89	14.89	कस्टम्स हाउस, विशाखापत्तनम
27	बी28	दिल्ली	हार्ड सी सेल कीमत के आधार पर निर्धारणीय मूल्य का निर्धारण न होने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.64	7.64	8.08	आईसीडी तुगलकाबाद
28	बी29	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.79	7.79	7.93	एनसीएच, नई दिल्ली
29	बी30	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.07	8.07	6.01	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली
30	बी31	दिल्ली	निर्धारणीय मूल्य का गलत परिकलन करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.70	7.70	7.71	आईसीडी, तुगलकाबाद, कस्टमस हाउस, नई दिल्ली
31	बी32	दिल्ली	गलत मुद्रा को अपनाने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.66	7.66	7.96	न्यू कस्टम्स हाउस, आईसीडी तुगलकाबाद एवं आईसीडी पटपड़गंज
32	बी33	अहमदाबाद	ईपीसीजी अनुज्ञापतियों का अयोग्य उत्पादनों के लिए शून्य शुल्क जारी करना	7.40	7.40	7.40	आईसीडी, साबरमती अहमदाबाद
33	बी34	चेन्नै	'पीलिंग मशीन' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.14	7.14	8.22	चेन्नै (समुद्र)
34	बी35	चेन्नै	साफ्ट एसेम्बली ड्राइव के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	17.73	17.73	17.73	चेन्नै (समुद्र)
35	बी36	दिल्ली	गलत निर्धारणीय मूल्य को लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.56	8.56	5.05	आईसीडी, तुगलकाबाद एवं पटपड़गंज, दिल्ली एवं नई दिल्ली
36	बी37	दिल्ली	गलत निर्धारणीय मूल्य को लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	7.84	7.84	8.49	आईसीडी, तुगलकाबाद एवं पटपड़गंज दिल्ली एवं नई दिल्ली
37	बी38	अहमदाबाद	विदेशी विनिमय की दर को गलत रूप से लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	21.3	21.38		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, राजकोट

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

38	बी39	अहमदाबाद	सीमाशुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क की गलत छूट	22.56	22.56	22.56	कस्टम्स हाउस एमपी एवं एसईजेड, मुन्द्रा
39	बी40	दिल्ली	एन्टी डम्पिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण	7.99	7.99	8.31	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली
40	बी41	अहमदाबाद	गलत संगणना के कारण उत्पाद शुल्क का कम उद्ग्रहण	43.38	43.38	44.79	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बडोदरा-I
41	बी42	अहमदाबाद	सियोन का अत्याधिक उपयोग किए गए इनपुटों पर छूट का गलत लाभ उठाना	9.41	9.41	15.98	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I
42	बी43	कोलकाता	अधिसूचना की शर्त के उल्लंघन के बावजूद शुल्क का अनुद्ग्रहण	37.98	37.98	75.96	कोलकाता (पोर्ट)
43	बी44	दिल्ली	वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	7.71	7.71	8.14	आईसीडी तुगलकाबाद, एनसीएच, नई दिल्ली
44	बी45	कोलकाता	अनियमित तृतीय पक्ष निर्यात के कारण निर्यात बाध्यता को पूर्ण न करना	17.24	17.24	30.01	आरएलए, कोलकाता
45	बी46	मुम्बई	पीलीप्रीपालिन पर एन्टी डम्पिंग शुल्क न लगाना	21.35	21.35	21.35	जेएनसीएच, मुम्बई
46	बी47	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	15.04	15.04		चेन्नै(समुद्र)
47	बी48	कोलकाता	अस्वीकार्य भुगतान की वापसी	28.85	28.85	23.49	कोलकाता (बन्दरगाह)
48	बी49	कोलकाता	गलत वर्गीकरण के कारण कम उगाही	11.36	11.36		कोलकाता (बन्दरगाह)
49	बी50	मुम्बई	एन्टी डम्पिंग शुल्क न लगाना	10.10	10.10	6.83	जेएनसीएच, मुम्बई
50	बी51	मुम्बई	एसटीपीपी पर एन्टी डम्पिंग शुल्क न लगाना	31.73	31.73		जेएनसीएच, मुम्बई
51	बी52	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	39.47	39.47		जेएनसीएच, मुम्बई
52	बी53	कोलकाता	गलत वर्गीकरण के कारण ईपीसीजी लाइसेंस में शुल्क की डेबिट	32.88	32.88	32.88	कस्टम हाउस पाराद्वीप भुवनेश्वर-I
53	बी54	चेन्नै	अयोग्य आय पर एसएफआईएस के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट का अनुदान	8.00	8.00	10.39	जेडीजीएफटी, चेन्नै
54	बी55	बैंगलोर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	7.28	7.28	5.96	एसीसी, बैंगलोर
55	बी56	चेन्नै	ट्रान्सकाम्ट के गलत वर्गीकरण के कारण देय शुल्क की कम उद्ग्रहण	31.41	31.41	31.42	चेन्नै(समुद्र)
56	बी57	चेन्नै	विशिष्ट दर के न अपनाने के कारण शुल्क का कम संग्रह	10.3	10.30	11.59	चेन्नै(समुद्र)
57	बी58	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	8.30	8.30	8.30	आरएलए बैंगलोर
58	बी59	चेन्नै	फिड केबल्स के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	17.74	17.74	22.62	चेन्नै(समुद्र)
59	बी60	कोच्ची	निर्यात देयता का उपलब्ध न होना	9.89	9.89	10.12	आरएलए, तिरुवनंतपुरम

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

60	बी61	मुम्बई	एजेंसी आयोग को अधिक समावेश के कारण शुल्क वापसी का अत्यधिक भुगतान	15.16	15.16		एसीसी, मुम्बई
61	बी62	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	12.27	12.27		जेएनसीएच, मुम्बई
62	बी63	मुम्बई	अनियमित डीटीए बिक्री	49.18	49.18		एसईईपीजेड, एसईजेड, प्राधिकरण मुम्बई
63	बी64	मुम्बई	शुल्क के भुगतान के विलंब पर ब्याज की वसूली न होना	13.84	13.84	13.84	पुणे-III
64	बी65	मुम्बई	टीपीएस के तहत शुल्क मुक्त क्रेडिट का अधिक भुगतान	11.90	11.90	10.73	जेडआईडीजीएफटी, मुम्बई
65	बी66	मुम्बई	योग्य निर्यात की गलत गणना	31.42	31.42	68.07	आरएलए, मुम्बई
66	बी67	हैदराबाद	सीवीडी की उगाही न होने के कारण शुल्क की कम उगाही	8.12	8.12	8.12	कस्टम हाऊस विशाखापट्टनम
67	बी68	चेन्नै	एल्यूमीनियम ट्यूब के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रह	12.63	12.63		चेन्नै (समुद्र)
68	बी69	दिल्ली	माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	56.18	56.18	58.01	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
69	बी70	हैदराबाद	छूट का गलत अनुदान	438.00	438.00	438.00	जामनगर कस्टम
70	बी71	बैंगलोर	अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत निर्यात बाध्यता की पूर्ति न होना	16.59	16.59		आरएलए, बैंगलोर
71	बी72	चेन्नै	जॉबिंग हेतु अधिसूचना छूट की शर्तों की पूर्ति का होना	144.93	144.93		चेन्नै (हवाई)
72	बी73	कोच्ची	मोबाइल हैंडसेट के आयात पर सीमा शुल्क की अतिरिक्त शुल्क की उगाही न होना	26.20	26.20	11.21	सीई, कस्टम एण्ड एसटी कोलीकट
73	बी74	दिल्ली	आरएसपी/एमआरपी पर सीवीडी के उगाही न होने के कारण कम शुल्क की उगाही	7.63	7.63	7.89	आईसीडी, तुगलकाबाद एण्ड न्यू कस्टम
74	बी75	चेन्नै	एसएफआई एस के तहत अनुमत अधिक शुल्क क्रेडिट	7.95	7.95	20.19	जेडीजीएफटी, चेन्नै
75	बी76	कोलकाता	ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात बाध्यता की पूर्ति न होना	123.00	123.00		आरएलए, गुवाहटी
76	बी77	कोलकाता	रद्द ईपीसीजी लाइसेंस को रद्द करने के कारण छोड़े गए शुल्क को वसूली न करना	20.70	20.70	36.43	आरएलए, कोलकाता
77	बी78	जयपुर	डीईपीबी लाभांशों एवं ब्याज की वसूली न होना	18.94	18.94		आरएलए जयपुर
78	बी79	मुम्बई	डीटीए निकासी पर उत्पाद शुल्क की कम उगाही	29.21	29.21	26.03	सीई, थाने-I
79	बी80	चेन्नै	केन्द्रीय उत्पाद छूट अधिसूचना के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप शुल्क की कम उगाही	11.87	11.87	11.87	चेन्नै (समुद्र)
80	बी81	कोलकाता	सुपारी पर गलत छूट देने के कारण कम उगाही	9.61	9.61		सिलीगुरी

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

81	बी82	कोलकाता	मोटर स्पिरिट/हाईस्पीड डीजल के गलत निर्धारण के कारण कम उगाही	634.00	634.00	788.00	भुवनेश्वर-I
82	बी83	कोलकाता	रक्षा शुल्क का न लगाया जाना	58.19	58.19		कोलकाता (बंदरगाह)
83	बी84	चेन्नै	विशिष्ट दर की बजाए शुल्क के ययामूल्य दर की गलत उगाही के कारण शुल्क का कम संग्रह	12.23	12.23	4.01	चेन्नै (समुद्र)
84	बी85	चेन्नै	ट्रान्समिशन के गलत निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही	115.00	115.00	126.24	चेन्नै (समुद्र)
85	बी86	चेन्नै	सेंसर एसेम्बली एयरबेग्स के गलत निर्धारण के कारण सीमा शुल्क की कम उगाही	35.36	35.36		चेन्नै (समुद्र)
86	बी87	चेन्नै	लो नोइस ब्लाक कनवर्टर के गलत निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही	25.36	25.36		चेन्नै (समुद्र)
87	बी88	दिल्ली	वस्तुओं के गलत निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही	17.18	17.18	20.42	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
88	बी89	चेन्नै	सेनटोपीन के गलत निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही	11.98	11.98	11.98	चेन्नै (समुद्र)
89	बी90	बैंगलोर	गलत निर्धारण के कारण शुल्क की कम उगाही	7.22	7.22		एसीसी, आईसीडी बैंगलोर
90	बी91	चेन्नै	वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट का अयोग्य मदों पर दिया जाना	7.69	7.69	7.69	जेडीजीएफटी, चेन्नै
			कुल	3079.86	3079.86	2776.17	

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)

लेखापरीक्षित ईकाई की संगठनात्मक संरचना

1. वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र दिशानिर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नामक दो सांविधिक बोर्डों के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ कर का समन्वय किया जाता है।
2. इसके अतिरिक्त, डीओआर पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के कार्यक्षेत्र के अंदर पडने वाली सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर (सम्पत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (सफेम (एफओपी) ए), विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 (फेमा) और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि विरोधी अधिनियम 1974 (कोफेपोसा), काले धन को वैध बनाने से रोकने के अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और खुफिया, प्रवर्तन, लोकपाल और अर्धन्यायिक कार्य के सम्बद्ध/अधीनस्थ और अर्धन्यायिक कार्य के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का उत्तरदायित्व भी है।

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड,

3. केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) निम्नांकित लक्ष्य से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर कानून और पद्धति के मामले देखता है:
 - क. स्वच्छ, न्याय संगत, पारदर्शी और दक्ष तरीके से राजस्व की वसूली
 - ख. एक कार्यक्रम ढंग से सरकार के आर्थिक, कराधान ओर व्यापार नीतियों का प्रशासन
 - ग. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही और सरल बना कर व्यापार और उद्योग को सहायता करना और भारतीय व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।
 - घ. माल, सेवाओं और बौद्धिक सम्पदा के सीमा पर संचलन पर नियंत्रण को सुनिश्चित करना
- उ.. सूचना और मार्गदर्शन प्रदान कर स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण सृजित करना

वाणिज्यिक विभाग

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास के लिए वातावरण और आधारिक संरचना को समर्थ बनाने में विभाग की अहम भूमिका होती है। विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के कार्यान्वयन और निगरानी को सूत्रबद्ध करता है जोकि व्यापार को बढ़ावा देने जिसे इनके आरएफडी के अनुसार मापा जाता है हेतु अनुपालन किए जाने वाले आधारभूत ढाँचे और नीति प्रदान करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्य का ख्याल रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु आवधिक रूप से व्यापार नीति की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को व्यापार करार, वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक जोन, राज्य व्यापार, निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार सहायता तथा कुल निर्यात उन्मुख उद्योगों ओर वस्तुओं के उत्तरदायित्व

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

भी सौंपे गए हैं। विभाग के पास विभिन्न सम्बद्ध कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय/संगठन अर्थात् महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), महानिदेशक, एंटी-डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डीजीएडी) और विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का कार्यालय है।

परिशिष्ट-2 (संदर्भ पैराग्राफ 1.5)

टैरिफ नीति और अंतिम एक दशक में वातावरण

1. 1980 के मध्य में, सीमाशुल्क की टैरिफ दरें काफी उच्च थीं और संरचना जटिल थी। सरकार ने अपनी दीर्घावधि राजकोषीय नीति (एलटीएफपी-1985-86) में टैरिफ कम करने, कुछ पर लागू करने और अधिक समान दरों, आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करने और अंततः समाप्त करने पर बल दिया। इसमें चुनिंदा विशिष्ट उद्योगों जैसे पूंजीगत माल, दवा बनाने वाली सामग्री और बिजली का सामान के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए लागू किया गया हालांकि एलटीएफपी सिफारिशों के वितरित, राजस्वीय कारणों के कारण बढ़ता रहा, भारत औसत दर 1980-81 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 87 प्रतिशत हो गई। 1990-91 तक, टैरिफ संरचना 0 से 400 प्रतिशत के बीच रही। आयात का 10 प्रतिशत से अधिक टैरिफ का 120 प्रतिशत या अधिक देने के लिए अध्यधीन है। सीमा शुल्क कर नीति में विभिन्न विशिष्ट हित समूहों का प्रभाव दर्शाते हुए, बजटीय प्रक्रिया के बाहर जाकर व्यापक छूट प्रदान की गई, जिसने प्रणाली को और अस्थायी बना दिया।

बॉक्स 2: भारत में टैरिफ नीति परिवर्तनों का सार

वि.व. 1997

टैरिफ का स्थान क्यूराज़ ने ले लिया। अधिकतम टैरिफ 1990/91 के 400% से 1994 में 65%, 1995 में 50% तक, उसी समयावधि में औसत शुल्क 50% से 27% तक कम कर दिये गये।

वि.व. 2005

अधिकतम टैरिफ दर वि.व. 90 में 355% से वि.व. 97 में 45%, वि.व. 99 में 40%, वि.व. 2000 में 35% (10% अधिशुल्क के साथ 38.5%) तक कम कर दी गई।

आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के वि.व. 92 में भिन्न स्तरों से हटाना शुरू करके, वि.व. 01 में अंततः पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

औद्योगिक वस्तुओं हेतु टैरिफ दरों को वि.व. 92 में 80% के भारत औसत से वि.व. 05 में लगभग 20% तक कम कर दिया गया; वि.व. 09 तक एसियन स्तरों (10%) तक लाया गया।

2. मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से सीमा शुल्क पर ध्यान केंद्रित है:
- क कुल कर राजस्वों में वृद्धि की आवश्यकता।
 - ख देशों में महत्वपूर्ण इनपुट्स के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आयात को बढ़ावा देना।
 - ग उपभोक्ता संरक्षण।
 - घ घरेलु उद्योग के लिए विकल्प और सुरक्षा आयात।

प्रतिबंधित मर्दों के अवैधानिक व्यापार पर नियंत्रण।

3. 1991-92 की शुरुआत में जब गैर-कृषि वस्तुओं पर सभी शुल्क 150 प्रतिशत से ऊपर थे, को आयात करों के सुधार से इस स्तर तक कम कर दिया गया था। यह उच्चतम दर अगले चार वर्षों में 50 प्रतिशत, और फिर 1997-98 में 40 प्रतिशत तक, 2002-03 में 30 प्रतिशत, 2003-04 में 25 प्रतिशत, 2004-05 (जनवरी 2004) में 20% प्रतिशत, 2005-06 में 15 प्रतिशत, 2006-07 में 12.5% तक और अंततः 2007-08 में 10% तक कम कर दी गई। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि कटौतियां डब्ल्यूटीओ की अपेक्षाओं के अनुसार अधिदेशित नहीं किया गया है क्योंकि भारत में लागू दरें निश्चित दरों से भी काफी नीचे हैं। और करों में कमी कुछ अनिश्चित मर्दों के लिए भी की गई है। नीचे दी गई तालिका से यह विस्तृत विवरण मिलता है कि टैरिफ के मामलों में हमारी स्थिति क्या है।

देश-वार टैरिफ दरें (सीबीडी, प्रतिकारी शुल्क का छोड़कर)

देश	औसत	टीडब्ल्यूए	बाध्यकारी कवरेज
इंडिया	13	6.9	73.8
अर्जेंटीना	12.6	12.2	100
आस्ट्रेलिया	2.8	3.9	97.1
ब्राजील	13.7	10	100
कनाडा	3.7	3.4	99.7
मलेशिया	8.0	5.1	84.3
पाकिस्तान	13.9	9.8	98.7
सिंगापुर	0	0	100
संयुक्त राज्य अमेरिका	3.5	2.0	2.1

स्रोत: डब्ल्यूटीओ विश्व टैरिफ रूपरेखा 2011 (सभी आंकड़ें % में हैं)


4. 10% के गैर-कृषि के उच्चतम टैरिफ और 9.1% के साधारण औसत (8 अंकों में) के साथ हम इस श्रेणी में उच्चतर टैरिफ स्तरों के अपेक्षाकृत एसियान देशों में प्रचलित टैरिफ तक पहुँच गये हैं। उद्योग और सेवाओं में कुशलता और प्रतियोगितात्मकता के लाभ आयातकों के साथ साथ निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उत्पादों को स्तरीय खुला क्षेत्र प्रदान करके अधिकतम किए जा सकते हैं।

5. 36.8% के साधारण औसत पर कृषि (8 अंक) टैरिफ तुलनात्मक रूप से अधिक रहे। स्पष्ट रूप से भारत में ऐसा विद्यमान आजीविका के मुद्दों के कारण है, परंतु ऐसा मध्यम आय या उच्च आय वाले ओइसीडी देशों में नहीं है।

सीमा शुल्क टैरिफ दरें और आयातों का मूल्य

6. व्यापार करारों (द्विपक्षी, प्रादेशिक और बहुपक्षीय) ने टैरिफ में और कमी की। हालांकि गैर-कृषि उत्पादों के लिए सीमाशुल्क की उच्चतम दर वित्त वर्ष 08 से वित्त वर्ष 12 के दौरान 10% पर स्थिर बनी रही; फिर भी सीमाशुल्क राजस्व वृद्धि इसी समयावधि के दौरान आयातों के मूल्य की वृद्धि के अनुरूप नहीं है।

परिशिष्ट - 3 (संदर्भ पैराग्राफ 1.6)



परिशिष्ट 4: (संदर्भ पैराग्राफ 1.13)

परिशिष्ट : सीमाशुल्क की उच्चतम दर आयतों का मूल्य और संग्रहित सीमाशुल्क						
वर्ष	उच्चतम कर दर	कटौती दर %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ (₹ करोड़)	वृद्धि दर %	आयतों का मूल्य	वृद्धि दर %
वि.व.03	30.00	5.00	44851	11.38	297206	21.21
वि.व.04	25.00	5.00	48613	8.42	359108	20.83
वि.व.05	20.00	5.00	57610	18.47	501065	39.53
वि.व.06	15.00	5.00	65067	12.94	660409	31.80
वि.व.07	12.50	2.50	86327	32.67	840506	27.27
वि.व.08	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	104119	20.61	1012312	20.44
वि.व.09	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	99879	-4.07	1374436	35.77
वि.व.10	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	83324	-16.58	1363736	(-)0.78
वि.व.11	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	135813	62.99	1683467	23.45
2011-12	10.00	कोई परिवर्तन नहीं	149876	10.35	2344772	39.28

स्रोत: केन्द्रीय बजट, वित्त खाते, लेखापरीक्षा रिपोर्ट

परिशिष्ट 5: (संदर्भ पैरा 1.14)

केन्द्रीय बिक्री कर

(₹ करोड़)

क्रमांक		वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
(i)	सीएसटी	8371	11424	11730	10457	13037	13968	16200	18613	18389	17048	19230
(ii)	एसएडी	2442	3269	लागू नहीं	3595	4083	लागू नहीं	लागू नहीं	10595	13165	14095	18288
(iii)	सीएसटी प्रतिशतता के अनुसार एसएडी	29.17	28.62	लागू नहीं	34.38	31.32	लागू नहीं	लागू नहीं	56.92	71.59	82.68	95.10

सीएसटी: $\{(वि.वर्ष 11 - वि.व. 01) / वि.व. 01\} * 100 = 129.72$

दशकीय औसत सीएसटी वृद्धि = $129.72 / 11 = 11.79$

एसएडी: $\{(वि.व. 11 - वि.व.01) / वि.व.01\} * 100 = 648.89$

दशकीय औसत एसएडी वृद्धि = $648.89 / 11 = 58.99$

रेंज = वि.व.11 में $95.10 - वि.व. 02$ में $28.62 = 66.48$

सीएसटी/एसएडी अनुपात में औसत वार्षिक वृद्धि:

$(वि.व.11 - वि.व.01) / 11 \times वि.व.01 = 0.20$

परिशिष्ट 6: (संदर्भ पैरा 1.15)

केन्द्रीय उत्पाद प्राप्ति के अनुपात में वित्तीय वर्ष 01 से वि.व. 11 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का अतिरिक्त शुल्क

क्रमांक		वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
(i)	उत्पाद शुल्क	72555	82310	90774	99125	111226	117613	123611	108613	102991	132000	138372
(ii)	सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	16582	14409	15936	16368	22110	29750	38035	46935	46015	33435	51065
(iii)	उत्पाद शुल्क की प्रतिशत ता के अनुसार सीवीडी	22.85	17.51	17.56	16.51	19.88	25.29	30.77	43.21	44.68	25.33	36.90

(iii) का औसत: 16.51% (वि.व.04) से 44.68 तक (वि.व.09) के बीच 27% तक

मूल्य iii) का मध्यमाम: 25%

मूल्य iii) का मॉडल: 25%

रेंज: 28.17%

औसत वार्षिक वृद्धि: 8.24 %

औसत दशकीय औद्योगिक वृद्धि: 8%

सीवीडी ग्रोथ = $(51065-16582)/(11 \times 16582) \times 100 = 18.90\%$

परिशिष्ट 7: (संदर्भ पैरा 1.17)

भुगतान अधिशेष-पेट्रोलियम उत्पाद

वर्ष	आयात	निर्यात	भुगतान अधिशेष
	मूल्य	मूल्य	₹ करोड में
वि.व.01	71,496.52	8,645.47	-62851.05
वि.व.02	66,769.86	10,106.58	-56663.28
वि.व.03	85,367.00	12,469.22	-72897.78
वि.व.04	94,520.00	16,397.44	-78122.56
वि.व.05	134,094.00	31,404.15	-102689.85
वि.व.06	194,640.00	51,532.80	-143107.20
वि.व.07	258,571.76	84,520.15	-174051.61
वि.व.08	258,571.76	114,191.68	-144380.08
वि.व.09	419,945.62	123,397.91	-296547.71
वि.व.10	411,649.06	132,899.02	-278750.04
वि.व.11	482,281.69	188,778.97	-293502.72
वि.व.12(पी)	742,762.47	265,818.71	-476943.76

स्रोत: ईएक्सआईएम के आंकड़े, वाणिज्य, मंत्रालय, डीजीसीआईएस-कोलकाता

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

परिशिष्ट 8 (संदर्भ पैरा 1.17-व्यापार अधिशेष -सोना, चाँदी, जवाहरात और मोती, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि)						
₹ लाख में						
द1	वर्ष	आयात मूल्य (सोना, चाँदी इत्यादि)	निर्यात मूल्य (सोना, चाँदी इत्यादि) लाख में	व्यापार अधिशेष (कॉ 4 कॉ 3)	कुल आयात (सभी उत्पाद)	कुल निर्यात (सभी उत्पाद)
1	वि.व.-03	5069572	4400225	-669347	29720587	25513718
2	वि.व -04	6504451	4945106	-1559344	35910766	29336675
3	वि.व -05	9338735	6486410	-2852325	50106454	37533953
4	वि.व -06	9160414	7020873	-2139541	66040890	45641788
5	वि.व -07	10224988	7278416	-2946572	84050613	57177929
6	वि.व -08	10645199	7976309	-2668890	101231169	65586352
7	वि.व -09	19701503	12882692	-6818811	137443555	84075506
8	वि.व -10	21824846	13814830	-8010017	136373555	84553364
9	वि.व -11	35039643	19890767	-15148876	168346696	114292192
10	वि.व -12	43459846	22629094	-20830752	234546324	146595940
	कुल	175429119	110825285	-64603834	1068290583	711209214

स्रोत: ईएक्सआईएम के आंकड़े, वाणिज्य, मंत्रालय, डीजीसीआईएस-कोलकाता

परिशिष्ट 9: (संदर्भ पैरा 1.17)

वर्ष	एफडीआई मिलियन अमेरिकी डॉलर	जीडीपी की प्रतिशतता के अनुसार
वि.व.01	5477.64	0.66
वि.व.02	5629.67	0.90
वि.व.03	4321.08	0.74
वि.व.04	5777.81	0.78
वि.व.05	7621.77	0.78
वि.व.06	20327.76	1.39
वि.व.07	25505.59	1.29
वि.व.08	43406.30	2.42
वि.व.09	35595.90	2.97
वि.व.10	24159.20	1.85
वि.व.11	31554.03	2.07

परिशिष्ट 10 (संदर्भ पैरा 1.17)

भारतीय मुद्रा का विनिमय दर अर्थात् एसडीआर, यूएस डॉलर, पौंड स्टर्लिंग, डीएम/यूरो तथा जापानी येन (कैलेंडर वर्ष-वार्षिक औसत)					
(विदेशी मुद्रा का रूपया प्रति इकाई)					
वर्ष	एसडीआर	यूएस डालर	पौंड स्टर्लिंग	डच मार्क/यूरो	जापानी येन
वि.व. 01	60.0782	47.1857	67.9826	42.2869	38.8674
वि.व. 02	62.9532	48.5993	73.0028	45.9261	38.8722
वि.व. 03	65.2192	46.5818	76.0974	52.6603	40.2047
वि.व. 04	67.1053	45.3165	82.9983	56.3259	41.8941
वि.व. 05	65.1404	44.1000	80.2530	54.8993	40.1020
वि.व. 06	66.6775	45.3070	83.5115	56.9279	38.9752
वि.व. 07	63.2756	41.3485	82.7218	56.6019	35.1348
वि.व. 08	68.6477	43.5049	80.1362	63.7403	42.3079
वि.व. 09	74.5880	48.4049	75.7282	67.3928	51.8119
वि.व. 10	69.7509	45.7262	70.6912	60.6683	52.1669
वि.व. 11	73.6424	46.6723	74.7736	64.8794	58.6244
टिप्पणी: 1) जापानी येन की विनियम दर 100 येन प्रति रूपये है। 2) 1 जनवरी, 1999 से डचमार्क के स्थान पर यूरो					
स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया					

परिशिष्ट 11(संदर्भ पैरा 1.34)

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या	579	
अधिसूचित सेजेज की सं. (17.01.2013 तक)	384 (579 में से) + (7 केंद्र सरकार 12 राज्य सरकार /निजी सेजेज)	
सैद्धान्तिक वैध अनुमोदनों की संख्या	49	
चालू सेजेज (30 सितम्बर 2012 तक)	160 (ब्रेक अप: 17 बहु उत्पाद सेजेज, शेष आईटी/आईटीज़, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेक्सटाईल्स, बायोटेक्नॉलाजी, जवाहरात एवं आभूषण तथा अन्य क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र)	
सेजेज में अनुमोदित इकाइयाँ (30 सितम्बर 2012 तक)	3,622	
सेजेज के लिए भूमि	अधिसूचित सेजेज	अधिसूचित सेजेज सहित औपचारिक रूप से अनुमोदित (एफए)
	45,378 हेक्टेयर	66,882 हेक्टेयर
	भूमि राज्य से संबंधित है, सेजेज के लिए संबंधित राज्य सरकारों के नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदी जाती है।	
निवेश (30 सितम्बर 2012 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेजेज	₹1,99,332.54 करोड़.	₹ 1,99,332.54 करोड़.
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेजेज	₹ 6,487.52 करोड़.	₹ 8,243.83 करोड़.
केन्द्र सरकार सेजेज	₹ 8,939.84 करोड़	₹ 11,219.04 करोड़
कुल		₹ 2,18,795.41 करोड़
रोजगार (31 सितम्बर 2012 तक)	वृद्धिशील रोजगार	कुल रोजगार
अधिनियम के तहत सेजेज	6,44,000 व्यक्ति	6,44,000 व्यक्ति
2006 से पूर्व स्थापित राज्य/निजी सेजेज	71,466 व्यक्ति	83,934 व्यक्ति
केन्द्र सरकार सेजेज	95,820 व्यक्ति	2,18,056 व्यक्ति
कुल	8,11,286 व्यक्ति	9,45,990 व्यक्ति

स्रोत: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, एसईजेड इंडिया, एनआईसी.आईएन

परिशिष्ट 12 (संदर्भ पैरा 1.39)

सीमा शुल्क में नए सुविधा उपाय

1. **आइसीई गेट:** केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमा शुल्क आइसगेट (भारतीय सीमा शुल्क इडीआई गेटवे) का ई-वाणिज्य पोर्टल भारतीय सीमा शुल्क का एक ई-वाणिज्य पोर्टल है जो आईजीएम, ईजीएम, सीमाशुल्क भुगतान तथा फिरती वितरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से इंटी बिलों (आयात बिल घोषणा); जहाजरानी बिल (निर्यात बिल घोषणा); तथा सीमा शुल्क और अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच ईटीआई की ई-फाइलिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस)

2. भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आइसेस 1.5) एक कार्यप्रवाह स्वचालन प्रणाली है जो कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से आयात एवं निर्यात खेपों हेतु दस्तावेजों की मशीनीकृत प्रसंस्करण (पेपरलेस) की सुविधा प्रदान करती है। प्रणाली के अंतर्गत पेपरवर्क समाप्त करने, तीव्र कार्यवाही की सुविधा तथा पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने, जिससे समय की भी बचत हो, के लिए कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होते हैं।

3. भारतीय सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आइसेस) सीमाशुल्क गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन की सुविधा हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईएस) के लिए डिजाइन तथा विकसित किया गया है। इस विधा को देश में पेपरलेस व्यापार को बढ़ावा देने के विचार से बनाया गया है।

मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी)

4. एसीपी (मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम) जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू करने के लिए 2005 में बनाया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य उन आयातकों को आशवासित सुविधा प्रदान करना है, जो अच्छा रिकार्ड है और जो सही अनुपालन दर्शाते हैं। वर्तमान में, कुल मौजूदा आयातकों के 13% के बराबर लगभग 280 निर्यातक हैं। ग्राहकों द्वारा आयात पर सामान्य शुल्क निर्धारण तथा माल की जाँच से छूट प्राप्त है। वर्तमान में, कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र का विदेशी नीति के तहत स्टेटस होल्डर्स, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को एसीपी स्थिति की मंजूरी के लिए पात्र श्रेणी के अनुसार मान्यता देकर विस्तार किया जा रहा है, आशवासित सुविधा को स्वनिर्धारण पर कुछ लागत लाभ विश्लेषण वाले सभी आयातकों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक

5. प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) कार्यक्रम 2005 में सुरक्षित एफओएस (मानक की रूपरेखा) के स्वीकरण के विश्व सीमाशुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के

दिशानिर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है। भारतीय एईओ कार्यक्रम का अगस्त 2011 में सीबीईसी द्वारा शुभारंभ किया गया है और डीजीआईसीसीई को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल कार्यालय नामित किया गया है। एडीजी (डीजीआईसीसीई) एचडब्ल्यूक्यू दिल्ली कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रबंधक है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता चिह्न के साथ व्यवसाय प्रदान करता है जो उनके अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित भूमिका पद्धतियों की दक्षता और रिकार्ड कीपिंग एवं उनके आज्ञाकारी प्रकृति का सूचक है।

इसलिए एईओ स्तर प्राप्त संस्था को दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सीमा-शुल्क विभाग द्वारा विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार और सुरक्षित व्यापारी माना जाता है। आयातक, निर्यातक, कस्टम हाउस एजेंट आदि जैसे आर्थिक प्रचालकों के लिए एईओ कार्यक्रम की विभिन्न श्रेणियाँ हैं।

एईओ ग्राहकों को दिये गये लाभ:

(क) आयातक:

- I. जैसी एसीपी ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है वैसी कम परीक्षण और निरीक्षण की उच्च सुविधा।
- II. पूर्व आगमन आयात घोषणा की स्वीकृति।
- III. घटी हुई बैक गारन्टी जोकि बान्ड राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) निर्यातक

- I. जमीनी जांच का कम प्रतिशत
- II. सीमा-शुल्क क्षेत्र में माल को लाये बिना निर्यात घोषणा की स्वीकृति।

(ग) गोदाम मालिक:

- I. नये गोदाम के लिए जल्द मंजूरी;
- II. घटी हुई बैक गारन्टी जोकि बान्ड राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- III. कम लेखापरीक्षा।

(घ) कस्टम हाउस एजेंट्स:

- I. जब तक एईओ प्राधिकार वैद्य रहे 2009 का नियमों के तहत जारी लाइसेंसों की वैद्यता की अवधि में वृद्धि का लाभ।
- II. नवीकरण शुल्क से छूट
- III. आयातक ग्राहकों के लिए पूर्व-आगमन आयात घोषणाओं की स्वीकृति।

(ड.) संचालन प्रबंधन (वाहक/अग्रेषक)

- I. मामले की अनुमति से मामले की बिना माल का पारगमन;
- II. सीमा-शुल्क अनुष्क के बिना माल का पारगमन।
- III. एक ही चालू बान्ड के निष्पादन को सुविधा माल आयात नियमावली 1995 के तहत माल के परिवहन के मामले में बैक गारन्टी न लेने को लाभ

स्व-मूल्यांकन

6. वित्तीय अधिनियम, 2011 के अनुसार आयातकों या निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क का स्व-मूल्यांकन प्रारम्भ किया गया था। यह विभागीय अधिकारियों द्वारा आंकलन से विश्वास पर आधारित स्व-मूल्यांकन प्रणाली की ओर मुड़ने की मिसाल है। उद्देश्य आयातित/निर्यात माल की शीघ्र निकासी है। सही घोषणा और शुल्क भुगतान सुनिश्चित करने के संदर्भ में राजस्व के हित को इलैक्ट्रॉनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जोकि आंकलन या परीक्षण या दोनों के लिए जोखिम पूर्ण खेप की पहचान करता है। यह आयातक या निर्यातक के परिसर में विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा समर्थित होता है। अगले 6 महीनों में वर्तमान से 60%, 50% और 40% से 80%, 70% और 60% क्रमशः वायु, समुद्र और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से आयातित माल के सरलीकरण स्तर बढ़ाने का निर्णय स्व-मूल्यांकन करने का तात्कालिक परिणाम है। इस प्रकार, साधारणतः अधिकांश आयातित माल को बिना सीमा-शुल्क विभाग के हस्तक्षेप के निकासी की अनुमति होगी। स्व-मूल्यांकन मुख्य व्यापार का वह सरल उपाय है जिसका परिणाम सीमाशुल्क और संबंधित लेन-देन लागत के माध्यम से आयातित/निर्यात माल की निकासी के लिए, लिए गए समय में महत्वपूर्ण कमी होगा।

निकासी के बाद स्थल पर लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) योजना

7. वित्तीय अधिनियम, 2011 के अनुसार शुरू किए गए कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीमा-शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत आयातकों के मामले में "स्थल पर निकासी के बाद लेखापरीक्षा" की योजना 1 अक्टूबर, 2011 से कार्यान्वित है। ओएसपीसीए की शुरुआत के बाद, एक ओर सीमाशुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से रोक दी, जबकि दूसरी ओर ओएसपीसीए योजना में तेजी नहीं आई है। हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 12 के दौरान, 260 एसीपी ग्राहकों में से केवल 51 की लेखापरीक्षा की गई। आयात के अवनिर्धारण के मामले में इससे राजस्व की हानि हो सकती है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

8. आरएमएस, इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली पूर्व परिभाषित जोखिम मानदंडों के आधार पर आयात उन घोषणाओं (माल) को रोकती है जो आंकलन या परीक्षण या दोनों के अध्वधीन हैं। अन्य घोषणाओं (माल) को आंकलन और परीक्षण के बिना निकासी की अनुमति है। आरएमएस (आरएमएस 3.1) का वर्तमान स्वरूप जो आईसीईएस 1.5 के अनुकूल है का 04 जून, 2010 को शुभारंभ किया गया और यह व्यापार को निम्नलिखित लाभ देता है:

- क. स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन;
- ख. विचार करने के समय में कमी;

ग. लेन-देन की लागत में कमी; और
घ. समय पर प्रचालन में आसानी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार।
व्यापक आधार पर आरएमएस के लिए वायु, समुद्र और भूमि बंदरगाहों को शामिल करना महत्वपूर्ण है और वर्तमान स्तर की तकनीकी द्वारा प्राप्य है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रणाली का उल्लंघन करने का कार्यप्रणाली का शुरू से ही ध्यान रख सकता है।

4% एसएडी का प्रतिदाय

9. 4% एसएडी प्रतिदाय और शीघ्र स्वीकृति के लिए, सामान्य रूप से लागू प्रक्रिया और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिन के निश्चित समय के अंदर पूर्व-लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की स्वीकृति को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे शेरों के मैन्युअल पंजीकरण अनुमति द्वारा डीईपीबी/प्रतिफल प्रक्रिया जैसे विभिन्न शेरों के माध्यम से 4% एसएडी के प्रतिमाप वापसी के उपयोग को शिथिल कर दिया है।

लेन-देन मूल्यांकन विधियां

10. डब्ल्यूटीओ मूल्यांकन समझौते पर आधारित सीमा-शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) अधिनियम 2007, में मूल्यांकन की छः विधियां देने वाला नियम है जो अंतः आउटलायर्स को उजागर करने के लिए बना है।

सीमाशुल्क विधियों के लिए मूल्यांकन विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की हैं:

- क. आयातित माल का लेन-देन मूल्य।
- ख. अभिन्न माल का लेन-देन मूल्य।
- ग. समान माल का लेन-देन मूल्य।
- घ. भारत में बिके अभिन्न या समान आयातित माल पर आधारित निगमनात्मक मूल्य।
- ङ. परिकलित मूल्य जो लाभों और माल के उत्पादन की लागत पर आधारित है।
- च. उपलब्ध डाटा और औचित्यपूर्ण संसाधनों पर आधारित अवशिष्ट विधि।

परिशिष्ट 13: महानिदेशक सुरक्षा उपाय द्वारा की गई जाँचें (संदर्भ पैराग्राफ 1.55)

वर्ष	वि. व 01	वि. व 02	वि. व 03	वि. व 04	वि. व 05	वि. व 06	वि. व 07	वि. व 08	वि. व 09	वि. व 10	वि. व 11	वि. व 12	कुल
मामलों की संख्या	2	3	1	1	0	0	0	1	4	2	1	4	19
सक्रिय एसजीज़ की संख्या									1		1	4	6

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

₹ करोड में

परिशिष्ट 14 : डीआरआई (योजना-वार) द्वारा खोजे गए शुल्क-अपवंचन के मामले (संदर्भ पैराग्राफ 1.59)											
	योजना	वि.व.08		वि.व.09		वि.व.10		वि.व.11		वि.व.12	
		मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क	मामलों की संख्या	शुल्क
1	अवमूल्यांकन	207	192.6	144	509.33	105	166.18	197	132.12	186	496.2
2	गलत घोषणा	63	31.26	66	100.76	100	215.24	91	110.19	129	61.93
3	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का गलत उपयोग	10	93.14	5	22.71	10	5.66	18	264.62	1	0.1
4	डीईपीबी का गलत उपयोग	9	16.2	12	7.6	21	7.4	34	3.8	26	23.93
5	ईपीसीजी का गलत उपयोग	1	3.65	23	67.2	3	0.9	10	3.33	6	25.72
6	ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड का गलत उपयोग	6	83.35	7	34.75	9	3.28	4	0.04	6	9.66
7	अंतिम-उपयोग और अन्य अधिसूचना का गलत उपयोग	29	84.44	17	145.16	15	24.6	26	100.55	56	309.2
8	फिरती	37	12.82	7	21.8	38	91.76	102	81.42	13	25.93
9	अन्य	72	209	59	619.28	90	100.21	99	130.4	104	88.85
	कुल	434	726.46	340	1528.59	391	615.23	581	826.47	527	1841.52

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

परिशिष्ट 15 : विशिष्ट पदार्थों की जल्ती (संदर्भ पैराग्राफ 1.60)											
(आंकड़े ₹ करोड़ में)											
क्र. सं.	पदार्थ	वि.व.07		वि.व.08		वि.व.09		वि.व.10		वि.व.11	
		पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई	पूरा भारत	डीआर आई
I	सोना	2.44	0.28	2.99	0.59	5.39	2.50	27.46	13.95	9.34	25
II	विदेशी मुद्रा	14.02	0.8	11.16	0.01	8.32	1.09	3.79	0.39	3.83	1.36
III	नशीली दवाईयां	62	16.35	65.32	12.1	64.69	14.11	116.23	37.52	58.33	16.72
IV	बिजली का सामान	30.36	6.36	64.71	22.1	31.69	14.12	120.03	13.94	167.04	21.49
V	कम्प्यूटर/उसके पार्टस	32.04	5.92	6.92	1.55	127.4	117.6	15.95	7.28	5.29	2.26
VI	कपड़े/रेशमी धागे आदि	12.05	11.1	193.1	30.1	435.14	19.2	71.95	30.74	187.7	36.45
VII	बीयरिंग	1.25	0	0.39	0.38	0.64	0	0.66	0	0.14	0
VIII	हीरे	17.36	6.12	12.26	1.83	9.09	3.85	13.83	7.77	11.52	1
IX	भारतीय मुद्रा	40.19	31.37	1.65	0.34	4.3	1.67	3.95	2.06	2.11	1.16
X	घड़ियां/उनके हिस्से	4.43	3.27	2.47	0.53	2.07	0.35	0.82	0	4.31	3.06
XI	मशीनें/उनके हिस्से	48.41	33.47	230	176	86.51	78.51	480.2	9.58	249.76	106.61
XII	वाहन/पोत/वायुयान	42.32	16.81	41.05	22.3	72.04	10.63	69.98	39.78	24.89	1.13
XIII	भारतीय जाली मुद्रा	1.59	1.42	1.5	1.55	2	1.87	0.65	0.55	1.81	1.5
XIV	विविध/अन्य	380.7	244.1	387.6	366	707.52	480.89	1231	516.61	1749.63	620.27
	जोड़	689.16	377.40	1021.00	635.00	1556.80	746.39	2156.50	680.17	2475.70	813.26

परिशिष्ट 16 (संदर्भ पैराग्राफ 1.77)

वित्त वर्ष 02 से वित्त वर्ष 12 की समयावधि के दौरान की गई निष्पादन समीक्षाएं

1. भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डॉटा आदान-प्रदान प्रणालियां (आईसीईएस)
2. विदेशी विनिमय की गैर उगाही
3. आमामप जब्त और विस्तृत माल का निपटान न होना/निपटारे में देरी
4. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अंतर्गत जारी अंतिम प्रयोग छूट अधिसूचना
5. सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क (एसटीपी) योजना
6. अंतर्देशीय सीमाशुल्क प्रतिबंधित (सार्वजनिक/निजी) गोदाम की कार्यप्रणाली
7. आयात सामान्य माल सूची (आईजीएम)/निर्यात सामान्य माल सूची (ईजीएम)
8. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
9. राजस्व के बकाया की वसूली
10. अंतरिम निर्धारण (मूल्यांकन)
11. अग्रिम लाईसेंसिंग योजना/शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (डीईईसी)
12. शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयूज़)
13. अधिनिर्णित और अपील मामलें
14. प्रोत्साहन उपाय
15. टारगेर प्लस योजना
16. विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजेडज़)
17. भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डॉटा आदान-प्रदान प्रणालियां (आईसीईएस)
18. परियोजना आयात
19. प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातुएँ, बहुमूल्य धातु से सजी धातुएं और वैसे ही वस्तुएं, नकली आभूषण, सिक्के (अ. 71 से सीटीएच)
20. शुल्क फिरती योजना
21. निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल योजना
22. एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को डिम्ड निर्यात और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति